इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2016—माघ 16, शक 1937

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2016-17

कैम्प भोपाल, दिनांक 05 फरवरी, 2016

**क्रमांक सात–ठेका/2016–17/51 कैम्प भोपाल :–** सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2016–17 के लिये अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए संपूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2015–16 में संचालित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निम्न शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर, संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा प्रथमतः नवीनीकरण द्वारा एवं नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण के पश्चात शेष बची मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों पर टेण्डर आमंत्रित कर, पृथक–पृथक/एकल समूहों में निष्पादन किया जायेगा।

1. **वर्ष 2016–17 के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन प्रथमतः वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से दिनांक 16 फरवरी, 2016, दिन मंगलवार तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जाकर, पात्र आवेदकों के हित में जिले में गठित समिति द्वारा नवीनीकरण के माध्यम से किया जायेगा। नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण के पश्चात शेष बची मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन निम्नांकित कण्डिका 62 में दर्शाए गये कार्यक्रम (टाइम टेबिल) अनुसार, संबंधित जिले के नाम के समक्ष अंकित निष्पादन स्थलों पर टेण्डर द्वारा किया जायेगा।**
2. वर्ष 2016–17 के लिये नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण पश्चात टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों की सूची (जानकारी), उनका आरक्षित मूल्य, टेण्डर ऑफर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि की जानकारी, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक रूप से **दिनांक 17 फरवरी, 2016, दिन बुधवार** को घोषित की जायेगी। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ–साथ, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी। संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन, **समाचार के रूप में कराया जाएगा।** टेण्डर की कार्यवाही से संबंधित नियमों, विक्रय ज्ञापन, ड्यूटी की दर तथा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की विगत वित्तीय वर्ष एवं

वर्तमान वित्तीय वर्ष के नौ माह में खपत आदि की जानकारी संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से दिनांक **17 फरवरी, 2016, दिन बुधवार** से किसी भी दिन, **(अवकाश के दिन सहित)** कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी। टेण्डर की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग लेना चाहें, वे इस संबंध में निम्नांकित वर्णित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अन्तर्गत टेण्डर ऑफर दे सकते हैं।

3. **मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु प्रत्येक जिले में गठित समिति निम्नानुसार होगी :–**

| | | |
|---|---|---|
| 3.1 | कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 3.2 | पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3.3 | संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी | सदस्य |
| 3.4 | मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत) | सदस्य |
| 3.5 | सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी | सदस्य सचिव |

जिला समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का 'कोरम' कलेक्टर एवं सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को सम्मिलित कर, कम से कम तीन सदस्यों का होगा। कोरम पूरा न होने की स्थिति में कलेक्टर किसी एक अन्य अधिकारी को, कोरम हेतु सदस्य मनोनीत कर सकेंगे। यह जिला समिति आबकारी आयुक्त के सामान्य पर्यवेक्षण के अध्यधीन निम्न कार्य संपादन करेगी :–

(1) देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन कराया जाना।

(2) जिले के प्रत्येक शहर/नगर/ग्राम में एक से अधिक मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें होने की स्थिति में, प्रत्येक दुकान की अवस्थिति (**Location**) का निर्धारण कर, उसका उल्लेख जिले के विक्रय ज्ञापन में अंकित कराया जाना।

(3) वर्ष 2015–16 में संचालित जो देशी अथवा विदेशी मदिरा दुकान/दुकानें वर्तमान में जिस नाम से स्वीकृत हैं, यदि वे वर्तमान स्थान पर उससे भिन्न नाम से संचालित हैं, तो ऐसी मदिरा दुकान/दुकानों को उनके वर्तमान स्थान पर ही नाम परिवर्तित कर वर्ष 2016–17 के लिए निष्पादित करने का निर्णय लिया जाना।

(4) शासन निर्देशानुसार देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूहों का गठन अथवा पुर्नगठन कराया जाना।

(5) मदिरा दुकानों के निष्पादन उपरान्त जन आन्दोलन अथवा अन्य कारणों से मदिरा दुकानों के विस्थापित होने की स्थिति में अथवा पुलिस/आबकारी विभाग द्वारा लायसेंसी को मुलजिम बना देने अथवा मदिरा दुकानों के संचालन में आ रही अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु, प्रत्येक तीन माह में एक बार अथवा वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक आयोजित कर उपरोक्त एवं अनुषांगिक विषयों की समीक्षा कर निराकरण किया जाना।

(6) राज्य शासन एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

**वर्ष 2016–17 के लिये मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन निम्नानुसार होंगे :–**

4. **नवीन मदिरा दुकानों का खोला जाना**

वर्ष 2016–17 के लिए राज्य में कोई भी नवीन मदिरा दुकान नहीं खोली जायेगी।

5. **वर्तमान मदिरा दुकानों को बन्द किया जाना**

वर्ष 2015–16 में संचालित जिला नरसिंहपुर की देशी मदिरा दुकान मचवारा तिगड्डा को वर्ष 2016–17 के लिये बन्द किया जायेगा। वर्ष 2015–16 के लिये इसके वार्षिक मूल्य रूपये 98,89,515/– को इसी समूह की तीन अन्य मदिरा दुकानों यथा विदेशी मदिरा दुकान करकबेल, देशी मदिरा दुकान करकबेल एवं देशी मदिरा दुकान झामर में कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के प्रस्ताव अनुसार अंतरित किया जायेगा।

6. **सिंहस्थ 2016 की अवधि में उज्जैन नगर में मदिरा विक्रय प्रतिबंधित किया जाना।**

उज्जैन में सिंहस्थ (कुम्भ मेला)–2016 की आयोजन अवधि दिनांक 22 अप्रैल, 2016 से दिनांक 21 मई, 2016 में, पूर्व में स्थाई रूप से बंद देशी मदिरा दुकान मालीपुरा, भैरवगढ़, आगर रोड, देशी मदिरा उप दुकान देवासगेट बसस्टैण्ड, हरी फाटक, मुल्लापुरा, चक कमेड तथा विदेशी मदिरा दुकान स्टेशन रोड एवं फ्री–गंज के साथ ही, शाही स्नान दिवसों यथा दिनांक 22 अप्रैल, 2016, दिनांक 09 मई, 2016 तथा 21 मई, 2016 में, उज्जैन नगर निगम क्षेत्र की 09 देशी मदिरा दुकानों एवं 08 विदेशी मदिरा दुकानों, इस प्रकार कुल 17 मदिरा दुकानों सहित नगर के समस्त बार लायसेंसों यथा (एफ.एल.–2, एफ.एल.–3, एफ.एल.–4, एफ.एल.–4–क) के लिये शुष्क दिवस रहेगा।

7 **मदिरा दुकानों के नाम में परिवर्तन किया जाना**

**7.1** वर्तमान वर्ष 2015–16 में संचालित कोई देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा दुकान जिस नाम से स्वीकृत है, यदि वह उससे भिन्न नाम से संचालित है, तो ऐसी मदिरा दुकान के पूर्व नाम को परिवर्तित कर, उसे वर्तमान स्थान पर ही, वर्तमान स्थान के नाम से वर्ष 2016–17 के लिए निष्पादित कराया जा सकेगा।

**7.2** मदिरा दुकानों के नाम परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी मदिरा दुकान का स्थान एवं उस मदिरा दुकान का वार्षिक मूल्य/आरक्षित मूल्य यथावत (अपरिवर्तित) रहेगा।

8 **मदिरा दुकानों का स्वरूप परिवर्तन किया जाना।**

**8.1** वर्ष 2016–17 में जिन जिलों में समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन नवीनीकरण के अभाव में केवल टेण्डर द्वारा किया जायेगा। ऐसे जिलों में स्थानीय आवश्यकतानुसार, राजस्व हित में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का स्वरूप विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के रूप में परिवर्तित कर, उनका निष्पादन विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के रूप में किया जा सकेगा।

**8.2** देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का स्वरूप, स्थानीय आवश्यकतानुसार राजस्व हित में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के रूप में परिवर्तित करने के लिये, संबंधित जिले की जिला समिति, जिसमें संभाग के उपायुक्त आबकारी की स्पष्ट राय, अनिवार्य रूप से अंकित हो, के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

**8.3** स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी विदेशी मदिरा दुकान का आरक्षित मूल्य निम्नलिखित **कंडिका क्रमांक 9.5** में वर्णित अनुसार परिगणित किया जायेगा।

9. **आरक्षित मूल्य का निर्धारण**

**9.1** वर्ष 2015–16 में जिन एकल समूहों में स्थित देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा की दुकान में या विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा की दुकान में, वार्षिक मूल्य में अन्तरण अनुमत किया गया है, तो ऐसा आदेश जारी किये जाने के दिनांक से उसे दिनांक 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए अन्तरण मानकर **(भले ही लायसेंसी द्वारा आदेश जारी किये जाने के उपरान्त अन्तरण योग्य मदिरा का प्रदाय लिया गया हो अथवा नहीं लिया गया हो),** एकल समूहों में सम्मिलित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक मूल्य पुर्नगणित (**Re-calculate**) किया जायेगा।

**9.2** जिन एकल समूहों में वार्षिक मूल्य का ऐसा अन्तरण वर्ष 2015–16 में अनुमत नहीं किया गया है, के साथ–साथ अन्य एकल मदिरा दुकानों का वर्ष 2015–16 के लिये वार्षिक मूल्य वही रहेगा, जिस वार्षिक मूल्य पर वे वर्ष 2015–16 के लिये निष्पादित की गई थी।

**9.3** वर्ष 2015–16 के लिये जिस मदिरा दुकान/एकल समूह का निष्पादन किये जाने के बाद, वर्ष 2015–16 के दौरान पुनःनिष्पादन किया गया है। ऐसी मदिरा दुकान/एकल समूह का भी, वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक मूल्य का पुनःनिर्धारण वर्ष 2015–16 के लिये मूल निष्पादन उपरांत, लायसेंस निरस्तीकरण के फलस्वरूप उक्त लायसेंस के लिये जमा धरोहर राशि, जमा प्रतिभूति राशि, जमा वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं जमा वार्षिक लायसेंस फीस के योग व उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह के वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के लिये पुनर्निष्पादन के फलस्वरूप प्राप्त वार्षिक मूल्य एवं संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के विभागीय संचालन अवधि (यदि कोई हो) में प्राप्त शुद्ध राजस्व के योग के आधार पर पुनर्गणित **(Re-calculate)** किया जायेगा।

**9.4** उपरोक्तानुसार प्रत्येक देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2015–16 के परिगणित/पुर्नगणित (**Re-calculate**) वार्षिक मूल्य में 15 प्रतिशत वृद्धि कर वर्ष 2016–17 के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

**9.5** **कण्डिका क्रमांक 8** अनुसार स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप ऐसी विदेशी मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य, उपरिलिखित **कंडिका क्रमांक 9.4 में** वर्णित अनुसार परिगणित राशि में, ऐसी देशी मदिरा दुकान के वर्ष 2015–16 के वार्षिक मूल्य के 20 प्रतिशत राशि के समतुल्य राशि की अतिरिक्त वृद्धि कर, निर्धारित किया जायेगा।

10. **देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की एकल दुकानों के समूह का पुर्नगठन**

**10.1** देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के जो समूह वर्तमान वर्ष 2015–16 में निर्धारित है, वर्ष 2016–17 के लिये उन्हें नवीनीकरण द्वारा निष्पादन हेतु यथावत रखा जायेगा।

**10.2** वर्ष 2016–17 के लिये नवीनीकरण के अभाव में जिन जिलों में समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जायेगा, केवल उन जिलों में निष्पादन की दृष्टि से स्थानीय आवश्यकता एवं राजस्व हित में वर्ष 2016–17 के लिये–

**10.2.1** नगर निगम एवं जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा क्षेत्र से 10 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र में सम्मिलित शहरी क्षेत्रों में भौगोलिक निरन्तरता के आधार पर स्थित अधिकतम तीन मदिरा दुकानों का एकल समूह, जिसमें यथासंभव दोनों स्वरूप की मदिरा दुकानें हों, आवश्यकता अनुसार राजस्व हित में अनिवार्यतः संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता की सहमति से जिले के नजरी नक्शे के आधार पर जिला समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पुनर्गठित किया जा सकेगा।

**10.2.2** इसी प्रकार जिला मुख्यालय से भिन्न अन्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक निरन्तरता के आधार पर अधिकतम चार मदिरा दुकानों का एकल समूह, जिसमें यथासंभव दोनों स्वरूप की मदिरा दुकानें हों, आवश्यकता अनुसार राजस्व हित में अनिवार्यतः संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता की सहमति से जिले के नजरी नक्शे के आधार पर जिला समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पुर्नगठित किया जा सकेगा।

**11.** <u>वार्षिक मूल्य, वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस का निर्धारण</u>

**11.1** वर्ष 2016–17 के लिए नवीनीकरण द्वारा निष्पादित की गयी मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2016–17 के लिये घोषित आरक्षित मूल्य ही उसका वार्षिक मूल्य होगा।

**11.2** वर्ष 2016–17 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की स्थिति में टेण्डर में प्राप्त एवं स्वीकृत उच्चत्म ऑफर की राशि, उस मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2016–17 का वार्षिक मूल्य होगा।

**11.3** वर्ष 2016–17 के लिये वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस, समानरूप से संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य का 60 प्रतिशत होगी। अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को यथावत/पूर्ववत बेसिक लायसेंस फीस के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।

**11.4** वार्षिक मूल्य में से वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस की राशि कम किये जाने पर, अवशेष कुल राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक लायसेंस फीस होगी। जिसके विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को मदिरा प्रदाय की पात्रता होगी।

**12.** <u>धरोहर राशि एवं उसको जमा कराया जाना</u>

**12.1** वर्ष 2016–17 के लिए नवीनीकरण अथवा टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये धरोहर राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत होगी।

**12.2** नवीनीकरण द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये मदिरा दुकानों का निष्पादन किये जाने की स्थिति में, धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी व शेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30 अप्रैल 2016 तक जमा करायी जा सकेगी।

**12.3** नवीनीकरण द्वारा मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में, धरोहर राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि 30 अप्रैल 2016 तक जमा न किये जाने पर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस निलंबित/निरस्त किया जायेगा व उसका पुर्ननिष्पादन वर्तमान लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

**12.4** टेण्डर द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये मदिरा दुकानों का निष्पादन किये जाने की स्थिति में टेण्डरदाता को धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि टेण्डर ऑफर के साथ जमा करानी होगी व शेष 50 प्रतिशत की राशि टेण्डर स्वीकृत किये जाने के दिनांक से 07 दिवस में अथवा दिनांक 31 मार्च, 2016, जो भी पहले हो, जमा करायी जायेगी। 07 दिवसों की गणना में टेण्डर की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (बैंक बंदी दिवस अथवा बैंक हड़ताल दिवस सहित, यदि कोई हों) को गणना में नहीं लिया जायेगा।

**12.5** वर्ष 2016–17 के लिये टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों का निष्पादन यदि दिनांक 23 मार्च, 2016 के पश्चात की किसी तिथि को अंतिम होता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित मदिरा दुकान की शेष 50 प्रतिशत की धरोहर राशि टेण्डर स्वीकृत किये जाने के दिनांक से 07 दिवस में दिनांक 31 मार्च, 2016 के बाद भी जमा करायी जा सकेगी। 07 दिवसों की गणना में टेण्डर की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (बैंक बंदी दिवस अथवा बैंक हड़ताल दिवस सहित, यदि कोई हों) को गणना में नहीं लिया जायेगा।

**12.6** वर्ष 2016–17 के लिये टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की स्थिति में नियत अवधि में धरोहर राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा न किये जाने पर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस निलंबित/निरस्त किया जायेगा व उसका पुर्ननिष्पादन वर्तमान उच्चतम टेण्डरदाता के उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

**12.7** वर्ष 2016–17 के लिये नवीनीकरण/टेण्डर द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों के लिये जमा धरोहर राशि, संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की देय वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी।

**12.8** असफल टेण्डरदाता द्वारा जमा धरोहर राशि, उससे रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर वापिस की जायेगी।

**13 प्रतिभूति राशि एवं उसको जमा कराया जाना।**

वर्ष 2016–17 के लिये प्रतिभूति राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये प्राप्त वार्षिक मूल्य में, धरोहर राशि को कम कर, शेष राशि के 12 प्रतिशत के समतुल्य प्रभारित की जायेगी।

**13.1 नवीनीकरण द्वारा मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में प्रतिभूति राशि जमा कराया जाना।**

**13.1.1** वर्ष 2015–16 के लायसेंसी द्वारा अपने नवीनीकरण आवेदन के साथ वर्ष 2015–16 के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि दिनांक 30.04.2017 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति प्रस्तुत की जायेगी। यदि प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में है, तो नवीनीकरण आवेदक द्वारा ऐसी बैंक गारंटी की वैधता अवधि में दिनांक 30.04.2017 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी बैंक के पत्र को संलग्न प्रस्तुत किया जायेगा। बैंक द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित किया जायेगा कि प्रस्तुत बैंक गारन्टी वर्ष 2015–16 के संदर्भ में तथा वर्ष 2016–17 के दौरान लायसेंसी द्वारा इस मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में आवेदक लायसेंसी के नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। बैंक द्वारा ऐसा पत्र नियत मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा। बैंक का उक्त पत्र लायसेंसी द्वारा **"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"** ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

**अथवा**

**13.1.2** यदि नवीनीकरण आवेदक की प्रतिभूति राशि सावधि जमा के रूप में जमा है, तो नवीनीकरण आवेदक संबंधित बैंक का ऐसी सावधि जमा की वैधता अवधि में कम से कम दिनांक 30.04.2017 तक की वृद्धि किये जाने संबंधी बैंक का पत्र संलग्न प्रस्तुत करेगा। बैंक अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करेगा कि वैधता अवधि की वृद्धि की अवधि में, उक्त सावधि जमा यथावत संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बंधक रहेगी। बैंक का उक्त पत्र लायसेंसी द्वारा **"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"** ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

**अथवा**

**13.1.3** नवीनीकरण आवेदक द्वारा वर्ष 2016–17 के लिये प्रतिभूति राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की नवीनीकरण आवेदक के नाम से जमा सावधि जमा के रूप में, जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2017 तक की होगी अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2017 तक की वैधता अवधि के अधीन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी के रूप में नवीनीकरण के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार **0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees** मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी। बैंक गारण्टी एवं बैंक के अग्रेषण पत्र को लायसेंसी द्वारा **"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"** ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

**13.1.4** प्रस्तुत बैंक गारण्टी अथवा सावधि जमा नवीनीकरण आवेदक के नाम से जारी होने पर ही स्वीकार की जायेगी।

**13.2 टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में प्रतिभूति राशि जमा कराया जाना।**

**13.2.1** टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में प्रतिभूति राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में बन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सफल टेण्डरदाता के नाम से जमा सावधि जमा के रूप में जिसकी परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2017 तक की होगी अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2017 तक की वैधता अवधि के अधीन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी के रूप में होगी। बैंक गारण्टी में यह उल्लेखित होगा कि प्रस्तुत बैंक गारन्टी वर्ष 2016–17 के दौरान लायसेंसी द्वारा इस मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में आवेदक लायसेंसी के नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार **0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees** मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी। बैंक गारण्टी एवं बैंक के अग्रेषण पत्र को लायसेंसी द्वारा **"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"** ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

**13.2.2** प्रस्तुत बैंक गारण्टी अथवा सावधि जमा टेण्डरदाता के नाम से जारी होने पर ही स्वीकार की जायेगी।

**13.2.3** सफल टेण्डरदाता को प्रतिभूति की राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस में अथवा दिनांक 30 मार्च 2016 तक, जो अवधि पहले आये जमा करानी होगी। टेण्डर द्वारा जिन मदिरा दुकानों का निष्पादन दिनांक 16 मार्च, 2016 के पश्चात की किसी तिथि को अंतिम होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति की राशि टेण्डर स्वीकृत किये जाने के दिनांक से 15 दिवस में दिनांक 31 मार्च, 2016 के बाद भी जमा करायी जा सकेगी।

**13.2.4** सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 15 दिवस की समयावधि में यदि प्रतिभूति की राशि जमा नहीं करता है तथा प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि नगद जमा कर, शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गांरटी दिनांक 30 अप्रैल 2016 तक प्रस्तुत करने का आवेदन करता है, तो (इस प्रतिबंध के अधीन कि देय प्रतिभूति की 50 प्रतिशत नगद जमा राशि, मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में जमा करायी जाकर, उसका समायोजन माह मार्च 2017 में देय बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध आदेशित/मान्य किया जायेगा) आवेदक लायसेंसी के आवेदन को मान्य किया जायेगा।

**13.2.5** संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस, प्रतिभूति राशि जमा हो जाने के पश्चात ही जारी किया जायेगा।

**13.2.6** सफल टेण्डरदाता द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2016 तक प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में, उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जायेगी।

**13.2.7** वर्ष 2016–17 के लिये जमा की गई प्रतिभूति की राशि के प्रकार में, किसी सफल ठेकेदार द्वारा वर्ष 2016–17 की अवधि में कोई परिवर्तन चाहा जाता है अर्थात नगद राशि अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर अथवा बैंक सावधि जमा के स्थान पर परस्पर बैंक गारण्टी या बैंक गारण्टी के स्थान पर बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर अथवा नगद राशि अथवा बैंक सावधि जमा आदि प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिये अधिकृत होंगे। परंतु सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व सुसंगत अभिलेखीय प्रमाण के साथ यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल ठेकेदार की निर्धारित प्रतिभूति की राशि विभाग के पास निरंतर जमा रहे।

**14. मदिरा दुकानों का स्वरूप**

वर्ष 2016–17 में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल बोतल बन्द देशी मदिरा का तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी केवल विदेश में निर्मित एवं मूल में

बोतल बंद **(Bottled in Origin)** आयातित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं बोतल बन्द भारत निर्मित विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) का ही संग्रह एवं विक्रय कर सकेगा।

**15. नवीनीकरण आवेदन पत्र/टेण्डर प्रपत्र का मूल्य**

वर्ष 2016–17 के लिए नवीनीकरण/टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों के लिए आवेदन पत्र/टेण्डर प्रपत्र का मूल्य नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रूपये 10,000/– तथा नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रूपये 5,000/– प्रभारित किया जायेगा। किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए नवीनीकरण आवेदन/टेण्डर तभी मान्य किया जायेगा, जब उसकी कीमत संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के मान से नवीनीकरण आवेदन/टेण्डर प्रपत्र के लिये भुगतान योग्य समेकित कीमत से कम न हो।

**16. मदिरा दुकानों का निष्पादन**

**नवीनीकरण द्वारा मदिरा दुकानों का निष्पादन**

**16.1** वर्ष 2016–17 के लिये देशी मदिरा/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्तमान वर्ष 2015–16 के ऐसे लायसेंसी, जिन्होंने वर्ष के दौरान कोई गम्भीर अनियमितता नहीं की है, को वर्ष 2016–17 के लिए अपनी एकल दुकान/एकल समूह के लायसेंस के नवीनीकरण की पात्रता होगी। वर्ष 2015–16 में संचालित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के अनुबंध का वर्ष 2016–17 के लिये **सशर्त** नवीनीकरण किया जायेगा। नवीनीकरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जायेगा।

**16.2** राजस्व हित में उन्हीं जिलों में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा, जिनमें समग्र में वर्ष 2015–16 हेतु निर्धारित वार्षिक मूल्य के राजस्व में निहित कम से कम 80 प्रतिशत वार्षिक मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिये, नवीनीकरण आवेदन प्राप्त हुये हों। इससे कम वार्षिक मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए नवीनीकरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, उस जिले में वर्तमान लायसेंसधारियों के लायसेंस का नवीनीकरण करने के स्थान पर, समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन सील्ड टेण्डर आमंत्रित किये जाकर किया जाएगा।

उदाहरणार्थ यदि किसी जिले की सम्पूर्ण देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2015–16 के लिए परिगणित वार्षिक मूल्य रूपये 10 करोड़ है, तो वर्ष 2016–17 के लिये नवीनीकरण की कार्यवाही उसी दशा में मान्य की जायेगी, जब कम से कम वर्ष 2015–16 के लिए परिगणित वार्षिक मूल्य रूपये 8 करोड़ की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हो जायेंगे। यदि प्राप्त आवेदन वाली मदिरा दुकानों का वर्ष 2015–16 के लिए परिगणित वार्षिक मूल्य रूपये 8 करोड़ से कम है, तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2016–17 के लिये जिले की समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा। ऐसी स्थिति में नवीनीकरण हेतु जमा आवेदन पत्र का मूल्य एवं जमा धरोहर राशि को वर्तमान लायसेंसी को उससे रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर वापिस कर दिया जायेगा।

**17. मदिरा दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की शर्तें**

मदिरा दुकानों का निष्पादन नवीनीकरण द्वारा किये जाने की स्थिति में प्रभावशील शर्तें एवं व्यवस्था निम्नानुसार रहेंगी :–

**17.1** वर्ष 2015–16 के ऐसे लायसेंसी, जिनके विरूद्ध माह जनवरी, 2016 द्वितीय पक्ष अंत तक देय कोई बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस बकाया नहीं है, उन्हें अपने मदिरा दुकान/एकल समूह के लायसेंस का वर्ष 2016–17 के लिए नवीनीकरण का आवेदन वांछित सहपत्रों सहित **दिनांक 16 फरवरी 2016 दिन मंगलवार को सायं 17.00 बजे तक** संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र उपरोक्त **कण्डिका क्रमांक–15** में उल्लेखित नियत राशि के नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैश आर्डर द्वारा भुगतान किये जाने पर कार्यालयीन समय में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्रदाय किया जायेगा। मदिरा दुकानों के एकल समूह के लिए आवेदन पत्र, एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के अनुरूप, उपरोक्तानुसार समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदाय किये जायेंगे।

**17.2** मदिरा दुकानों के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के सन्दर्भ में राजस्व हित को ध्यान में रखते हुये जिला समिति द्वारा ही प्रकरणवार विचार कर, यह निर्णय लिया जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारक द्वारा क्या वास्तव में वर्ष 2015–16 में आदतन, दुर्भावना पूर्ण ऐसी कोई गंभीर अनियमितता की गई है, जिससे उसका आचरण उसे मदिरा की फुटकर विक्रय की दुकान का लायसेंस धारण करने के लिये अपात्र बनाता है ?

**17.3** उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण, संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा **दिनांक 17 फरवरी 2016 को** किया जाकर, पात्र आवेदकों को सम्बन्धित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के वर्ष 2016–17 के लिए परिगणित/पुर्नगणित (**Re-calculate**) आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाएगी। शेष बची हुई मदिरा दुकानों/एकल समूहों के सम्बन्ध में निष्पादन की कार्यवाही टेण्डर के माध्यम से की जायेगी।

**17.4** नवीनीकरण हेतु इच्छुक लायसेंसी अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी/अभिलेख भी प्रस्तुत करेंगे :–

**(क)** निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण का आवेदन पत्र ।

**(ख)** वर्ष 2015–16 के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि दिनांक 30.04.2017 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति। यदि प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में है, तो ऐसी बैंक गारंटी की वैधता अवधि में दिनांक 30.04.2017 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी बैंक का पत्र। {बैंक द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित किया जायेगा कि प्रस्तुत बैंक गारन्टी वर्ष 2015–16 के संदर्भ में तथा वर्ष 2016–17 के दौरान लायसेंसी द्वारा इस मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में आवेदक लायसेंसी के नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। बैंक द्वारा ऐसा पत्र नियत मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा।} बैंक का उक्त पत्र लायसेंसी द्वारा **"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"** ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

यदि आवेदक/लायसेंसी वर्ष 2016–17 के लिए प्रतिभूति की राशि नगद अथवा बैंक की सावधि जमा अथवा नवीन बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे नगद राशि अथवा बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा नवीन बैंक गारन्टी, **03 मार्च, 2016** तक प्रस्तुत करना होगी। जब तक नवीन प्रतिभूति राशि नगद अथवा बैंक की सावधि जमा अथवा नवीन बैंक गारन्टी के रूप में प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक वर्ष 2015–16 के लिए प्रस्तुत अग्रिम प्रतिभूति की राशि, यदि नगद जमा है, तो उसका समायोजन वर्ष 2015–16 के अवशेष वार्षिक मूल्य (वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस) के विरुद्ध अनुमत नहीं होगा। यदि प्रतिभूति की राशि बैंक की सावधि जमा अथवा बैंक गारन्टी के रूप में है, तो ऐसी बैंक सावधि जमा अथवा बैंक गारन्टी का समायोजन वर्ष 2015–16 की वार्षिक मूल्य के अन्तर्गत अनुमत नहीं होगा।

**(ग)** संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की **कण्डिका क्रमांक–12** में उल्लेखित देय धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि नगद या समतुल्य राशि का संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा बैंक कैश आर्डर।

**(घ)** नवीनीकरण हेतु इच्छुक वर्तमान लायसेंसी/आवेदक को वर्ष 2016–17 के लिये **कण्डिका क्रमांक–12** में उल्लेखित देय धरोहर राशि की अवशेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30 अप्रैल, 2017 तक जमा करना होगी। तद्नुसार आवेदक इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र भी **कण्डिका क्रमांक–22.1** में उल्लेखित प्रारूप में संलग्न प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह घोषणा होगी कि

**(1)** आवेदक वर्ष 2016–17 की देय लायसेंस फीस यथा समय जमा करेगा।

**(2)** यदि आवेदक **कण्डिका क्रमांक–12** में उल्लेखित धरोहर राशि की अवशेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक जमा नहीं करता है, तो उसके द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि अथवा उसकी बैंक गारंटी तथा वर्ष 2016–17 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसे आवंटित मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2016–17 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए। इस

निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) यदि जिले में नवीनीकरण के लिये आवेदन–पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि उस जिले के 2015–16 हेतु निर्धारित वार्षिक मूल्य के 80 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर ही नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, तब नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(4) आवेदनकर्ता को शपथ पत्र में अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल का विवरण भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना होगा। जिससे आवश्यकता की स्थिति में संबंधित से सम्पर्क किया जा सके अथवा किसी भी सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन ई–मेल के माध्यम से किया जा सके।

18. **<u>टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की शर्तें।</u>**

18.1 वर्ष 2016–17 के लिए नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस, **निम्नांकित कण्डिका 62** में दर्शाए गये **कार्यक्रम (टाइम टेबिल) अनुसार संबंधित जिले के नाम के समक्ष अंकित निष्पादन** स्थलों पर टेण्डर द्वारा निष्पादित/निवर्तित किये जायेंगे।

18.2 वर्ष 2016–17 के लिये राज्य के जिन जिलों में नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण उपरान्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जायेगा, ऐसी देशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत एवं ड्यूटी की दर, टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा जमा करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी (सेलपेपर) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से किसी भी दिवस (अवकाश के दिनों सहित) कार्यालयीन समय में **दिनांक 17 फरवरी, 2016 को** एवं इसके उपरान्त प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसी जानकारी (सेलपेपर) कार्यालयीन समय में इच्छुक टेण्डरदाता को उपलब्ध भी कराई जायेगी। टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में उपरोक्त जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय के साथ–साथ, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी।

18.3 संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा यथासंभव स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसका **प्रकाशन समाचार के रूप में** भी कराया जाएगा।

18.4 वर्ष 2016–17 के लिये राज्य के जिन जिलों में नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण उपरान्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसों का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जायेगा, यथासंभव राज्य स्तर पर भी प्रमुख समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराया जाएगा।

18.5 वर्ष 2016–17 हेतु मदिरा दुकानों/एकल समूहों के टेण्डर द्वारा व्यवस्थापन के लिये विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र, राज्य के प्रत्येक जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। इच्छुक टेण्डरदाताओं द्वारा उनकी आवश्यकता अनुसार मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए टेण्डर प्रपत्र, एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के अनुरूप, समेकित मूल्य के अग्रिम भुगतान पर प्रदान किये जायेंगे। इन टेण्डर प्रपत्रों का विक्रय नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर/बैंकर्स चैक के माध्यम से उपरोक्त **कण्डिका क्रमांक–15** में उल्लेखित नियत राशि के भुगतान पर किया जायेगा। टेण्डर प्रपत्र के मूल्य की राशि की विहित प्रारूप में रसीद जारी की जायेगी। यही रसीद, निष्पादन स्थल पर उपस्थित रहने के लिए टेण्डरदाता के प्रवेश पत्र के रूप में मान्य की जायेगी।

18.6 मध्यप्रदेश राज्य के सभी जिलों में क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र उपलब्ध रहेंगे। किसी भी जिले से विक्रय किया गया टेण्डर प्रपत्र, अन्य किसी भी जिले में उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए टेण्डर तभी मान्य किया जायेगा, जब उसकी कीमत

संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों की अवस्थिति के मान से टेण्डर प्रपत्र के लिये भुगतान योग्य कीमत से कम न हो।

**18.7** टेण्डर की कार्यवाही में विभाग द्वारा मुद्रित कराये गये निर्गत टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।

**18.8** निर्गत टेण्डर प्रपत्र दो भागों में होगा। **भाग–एक** में टेण्डरदाता को **कण्डिका क्रमांक–12 अनुसार** जमा की गयी धरोहर राशि का विवरण, निम्नांकित **कण्डिका क्रमांक–20** में उल्लेखित प्रारूप में सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज, आयकर स्थायी लेखा संख्या **(PAN)** कार्ड की टेण्डरदाता द्वारा स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं वर्तमान में धारित बैंक बचत/चालू खाते की पासबुक के प्रथम पेज जिसमें बैंक की शाखा, खाता धारक का नाम एवं खाता क्रमांक की जानकारी अंकित हो, की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर, निम्नांकित **कण्डिका क्रमांक–21.2** में उल्लेखित प्रारूप में मूल नोटराइज्ड शपथपत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेखों को लिफाफे में बंद कर रखना अनिवार्य होगा। इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस मदिरा दुकान/एकल समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है, अवश्य लिखा जायेगा।

**18.9** टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र भाग–एक में उसके स्वयं के वर्तमान में धारित बचत/चालू बैंक खाते का **एक कैसिल्ड शब्द अंकित चैक** संलग्न प्रस्तुत किया जायेगा। सफल टेण्डरदाता द्वारा उस बचत/चालू बैंक खाते को सम्पूर्ण लायसेंस अवधि में जीवित रखा जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध मे टेण्डरदाता शपथ पत्र में यह घोषणा भी करेगा कि वह अपने बचत/चालू बैंक खाते को सम्पूर्ण लायसेंस अवधि में जीवित रखेगा।

**18.10** टेण्डरदाता भागीदार फर्म होने की दशा में फर्म के पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ–साथ पार्टनरशिप–डीड एवं रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्स्ट्रैक्ट) अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा। यदि टेण्डरदाता कंपनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है, तो टेण्डर देने के पूर्व उसे संबंधित कंपनी का निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि, कंपनी के संचालक मण्डल की सूची तथा संचालक मण्डल की ओर से आवेदक के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार पत्र भी उक्त आशय के **Resolution** के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल आयकर स्थायी लेखा **(PAN)** क्रमांक तथा वर्तमान में धारित बैंक खाते का क्रमांक शपथ पत्र पर उल्लेख करना पर्याप्त नहीं होगा।

**18.11** टेण्डरदाता मदिरा दुकान/एकल समूह का स्पष्ट नाम लिखते हुए अपना ऑफर शब्दों तथा अंकों में टेण्डर प्रपत्र के **भाग–दो** में प्रस्तुत करेगा। जिसे वह पृथक लिफाफे में रखकर बंद करेगा। इस लिफाफे पर टेण्डरदाता का नाम व उस मदिरा दुकान/एकल समूह का नाम, जिसके लिये टेण्डर दिया जा रहा है, अवश्य लिखा जायेगा। टेण्डर प्रपत्र के दोनों भाग **"एक"** व **"दो"** के लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में इस तरह चिपकाकर बंद करेगा कि उसे फाड़े बिना, लिफाफों को खोला न जा सके। इस बड़े लिफाफे पर उस जिले का नाम जहां की मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये टेण्डर भरा गया है, लिखा जावेगा। टेण्डरदाता द्वारा **इस संबंध में निम्नांकित कण्डिका क्रमांक 62 में उल्लेखित कार्यक्रम (टाइम टेबिल) अनुसार** घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार टेण्डर प्रस्तुत किया जायेगा।

**18.12** टेण्डरदाता द्वारा किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्रस्तुत किये गये अपने टेण्डर के साथ, अपनी स्वयं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु **निम्नांकित कंडिका क्रमांक–22 (1) एवं 22 (2)** में उल्लेखित दस्तावेजों में से, किसी एक–एक दस्तावेज की राष्ट्रीयकृत /अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये दस्तावेज को **"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"** अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**18.13** किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की एक दुकान/एकल समूह के लिए एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एक ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगी। परंतु एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एक से अधिक अथवा सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए अलग–अलग टेण्डर प्रस्तुत कर सकेगी।

**18.14** प्रत्येक टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर प्रपत्र के साथ मदिरा दुकान/एकल समूह की निर्धारित अनुसार 50 प्रतिशत धरोहर राशि नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा

जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर के रूप में जमा करायी जायेगी। असफल टेण्डरदाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि उससे रेवेन्यू स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त कर वापिस की जायेगी।

**18.15** सील्ड टेण्डर संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के साथ–साथ, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में भी निम्नानुसार जमा किये जा सकेंगे।

**(1)** आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में **कण्डिका क्रमांक 62** में वर्णित/उल्लेखित संबंधित जिले में टेण्डर जमा करने हेतु घोषित दिनांक एवं नियत समय से 48 घंटे पूर्व।

**(2)** संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में **कण्डिका क्रमांक 62** में वर्णित/उल्लेखित संबंधित जिले में टेण्डर जमा करने हेतु घोषित दिनांक एवं नियत समय से 24 घंटे पूर्व।

उपरोक्तानुसार आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा संबंधित उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के कार्यालय में प्राप्त टेण्डरों को यथास्थिति (सील्ड), संबंधित जिला आबकारी कार्यालयों में आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

**18.16** प्रत्येक मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए प्राप्त समस्त टेण्डरों की संख्या की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जायेगी। सभी टेण्डरदाता इस कार्यवाही के दौरान टेण्डर के निर्गमित मूल्य की रसीद के साथ उपस्थित रह सकते हैं। परंतु टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी।

**18.17** टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के घोषित आरक्षित मूल्य के अवरोही क्रम में, मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्रस्तुत टेण्डरों का **भाग–एक** खोला जाकर, टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी। साथ ही टेण्डरदाता द्वारा संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह की देय धरोहर राशि की विधिवत पुष्टि/संतुष्टि होने एवं जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने के उपरांत ही, जिला समिति द्वारा टेण्डर का ऑफर, **भाग–दो फाईनेन्शियल बिड** को खोला जाएगा।

**18.18** टेण्डरदाता अगर चाहे तो विभाग के पास टेण्डर की शर्तों के अनुरूप पात्रता संबंधी अभिलेख पहले ही जमा कर सकता है। संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के अन्य टेण्डरों के **भाग–एक** खोलने के पूर्व, ऐसे टेण्डरदाताओं की पात्रता के बारे में, जिला समिति द्वारा निष्पादन स्थल पर घोषणा की जायेगी। अगर टेण्डरदाता की किसी भी त्रुटि के कारण टेण्डर प्रपत्र का **भाग–दो** खुलने से उसका ऑफर **(फाईनेन्शियल बिड)** प्रकट हो जाता है तथा टेण्डर प्रपत्र के **भाग–एक** अनुसार टेण्डरदाता अपात्र नहीं है, तो ही उसका ऑफर विचारणीय होगा, अन्यथा नहीं।

**18.19** टेण्डर प्रपत्र **भाग–एक** के अभिलेखों में धरोहर राशि के विधिवत जमा पाये जाने पर, अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर, प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जायेगा। इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार जिला समिति मौके पर करवा सकेगी। लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका–समाधान के लिए, संबंधित कलेक्टर, आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा।

**18.20** टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव, सशर्त अथवा बिना शर्त न तो अभिलेखों मे लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा।

**18.21** **वर्ष 2016–17 के लिये टेण्डर द्वारा निष्पादित/निवर्तित की जाने वाली देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के लायसेंस पर इच्छुक टेण्डरदाताओं से, वर्ष 2016–17 के लिये घोषित आरक्षित मूल्य पर टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे।**

**18.22** **निम्नांकित कण्डिका क्रमांक 62 में उल्लेखित कार्यक्रम (टाइम टेबिल) अनुसार प्रथम चरण में** टेण्डर के माध्यम से प्राप्त ऑफर का अवरोही क्रम **(Descending Order)** में प्रत्येक टेण्डर के अनुरूप विवरण तैयार किया जावेगा। प्राप्त उच्चतम ऑफर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिला समिति स्वीकार कर लेगी। इस चरण में निष्पादन से शेष मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर द्वितीय चरण में टेण्डर **दिनांक 11 मार्च 2016 दिनांक शुक्रवार को आहूत किये जायेंगे।**

**18.23** **दिनांक 11 मार्च 2016 दिन शुक्रवार को द्वितीय चरण में** टेण्डर के माध्यम से प्राप्त ऑफर का अवरोही क्रम **(Descending Order)** में प्रत्येक टेण्डर के अनुरूप विवरण तैयार किया जावेगा। प्राप्त उच्चतम ऑफर संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिला समिति स्वीकार कर लेगी। अन्यथा स्थिति में मदिरा दुकानवार/एकल समूहवार प्राप्त टेण्डरों का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर, इसकी सूचना तत्काल आबकारी आयुक्त को दी जाएगी। घोषित आरक्षित मूल्य की तुलना में, टेण्डर के ऑफर की राशि कम होने की दशा में, जिला समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। जिसकी सूचना आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टर को दी जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के निर्देश दिए जाने पर, कलेक्टर टेण्डर की स्वीकृति की जानकारी देंगे। नियत समय पर आबकारी आयुक्त से निर्देश प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में, निष्पादन की यह कार्यवाही उसी स्टेटस पर आगामी दिवस के लिए स्थगित रहेगी। इसके विपरीत ऑफर स्वीकृत नहीं किये जाने के निर्देश की स्थिति में, टेण्डर द्वारा निष्पादन के द्वितीय चरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन आबकारी आयुक्त, द्वारा घोषित/निर्धारित दिनांक को पुनः टेण्डर आमंत्रित कर, किया जाएगा। ऐसे टेण्डरों का निराकरण भी उपरोक्त प्रावधान अथवा शासन द्वारा निर्दिष्ट व्यवस्था से होगा।

**18.24** टेंडर के माध्यम से किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए, निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक समान उच्चतम राशि का एक से अधिक ऑफर प्राप्त होता हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेण्डरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

**18.25** किसी भी जिले में किसी मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए, निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरूद्ध प्राप्त एकल टेण्डर को भी जिला समिति द्वारा विचार में लिया जायेगा। जिला समिति द्वारा उसे इस आधार पर कि वह एकल टेण्डर है, विचार में नहीं लिये जाने का निर्णय नहीं लिया जायेगा।

**18.26** टेण्डरदाता द्वारा निम्नांकित **कण्डिका क्रमांक–21.2** में वर्णित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाने वाले नोटराईज्ड शपथ पत्र में यह अंकित किया जायेगा कि "टेण्डरदाता को यह ज्ञात है कि उसे स्वीकृत मदिरा दुकान के लिए, जिला समिति द्वारा घोषित निर्धारित क्षेत्र **(Location)** में आपत्तिरहित स्थल खोज कर, दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व, उसका स्वयं का है।"

**18.27** उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर की पुष्टि तक, टेण्डर में अंकित ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिस लेगा या अन्य किसी प्रकार से शर्तो का उल्लंघन करेगा, तो उस मदिरा दुकान/एकल समूह को, टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादित करने पर, जो खिसारा आएगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह उच्चतम् टेण्डरदाता से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय टेण्डर की शर्तो के उल्लंघन पर टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि, उसको सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में अथवा बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर द्वारा जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जायेगी।

**18.28** टेण्डरदाता को शपथ पत्र में अपना मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल का विवरण भी अनिवार्यतः उल्लेखित करना होगा। जिससे आवश्यकता की स्थिति में संबंधित से सम्पर्क किया जा सके अथवा किसी भी सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन ई–मेल के माध्यम से किया जा सके।

**19. व्यक्ति जो टेण्डर देने से वर्जित होंगे**

देशी तथा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों के लिए ऐसे ही व्यक्ति टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नलिखित व्यक्ति टेण्डर देने के लिए अयोग्य रहेंगे –

**19.1** कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

**19.2** कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो।

**19.3** वर्ष 2015–16 की अवधि का अनुज्ञप्तिधारी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की माह जनवरी, 2016 के द्वितीय पक्ष अंत तक की संपूर्ण देय वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस न पटाई गई हो।

**19.4** पूर्ववर्ती अवधि का ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी निजी स्वामित्व की अथवा फर्म के भागीदार अथवा

कम्पनी के शेयर होल्डर के रूप में आंशिक स्वामित्व की एक भी मदिरा दुकान/एकल समूह का पुर्ननिष्पादन, उसी जिले में अथवा राज्य के अन्य किसी भी जिले में संबंधित वर्ष के देय वार्षिक मूल्य के अवशेष रहने के कारण किया गया हो, उसी जिले में अथवा मध्यप्रदेश राज्य के अन्य किसी भी जिले में वर्तमान वर्ष में संचालित मदिरा दुकान/एकल समूह के लिये आगामी वर्ष हेतु नवीनीकरण आवेदन देने के लिये अयोग्य रहेगा। साथ ही वह आबकारी की राशि के बकायादार के रूप में किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह के टेण्डर की कार्यवाही में भाग लेने के लिये भी अयोग्य रहेगा।

**19.5** कोई भी व्यक्ति, जो पहले लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाली जिला समिति के मत में संतोषजनक न रहा हो।

**19.6** कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।

**19.7** कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता जिला समिति को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।

**19.8** कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

**20. <u>सहमति करार प्रस्तुत किया जाना</u>**

**टेण्डर द्वारा देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के निवर्तन संबंधी शर्तों को, टेण्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार**

प्रत्येक टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह टेण्डर की प्रक्रिया में टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तद्नुसार राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत/चालू बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा (**PAN**) क्रमांक की जानकारी अंकित कर, किसी राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

**<u>सहमति करार</u>**

| टेण्डरदाता का स्वप्रमाणित फोटो जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो। |
|---|

मैं ........................................................................................................ (टेण्डरदाता का नाम) पिता/पति श्री.................................................................निवासी, ..........................................................धन्धे का स्थान ..............................................................................................आयु......................(वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूं कि :—

(1) मेरे राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक ................................व बैंक का नाम तथा पता ............................................................................................है।

(2) मेरे स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का स्थाई आयकर लेखा (**PAN**) क्रमांक,..........................................................है।

(3) मैंने देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2016–17 के लिए टेण्डर द्वारा निवर्तन की शर्तें पढ़–सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/करती हूं।

(4) मैंने जमा की गई धरोहर राशि का पूर्ण विवरण संलग्न कर दिया है।

(5) मैं टेण्डर में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निक्षेप की गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता/करती हूं तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूं कि पुनः निष्पादन/पुनः निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर..............................

दिनांक................................

**टीप :–**

(1) प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा **(PAN)** क्रमांक उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे।

श्री ..........................................................................................................को उपरोक्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के उल्लेखित टेण्डर द्वारा निवर्तन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर नीलामकर्ता अधिकारी

दिनांक .................. जिला ...................................

**21. नोटराइज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना**

**21.1 <u>नवीनीकरण आवेदक के लिए</u>**

प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण हेतु आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

**<u>शपथ–पत्र</u>**

मैं स्वयं (नाम)...........................................................................................................

(पिता/पति का नाम) ....................................................................................... निवासी

(पता) ............................................................................................ शपथपूर्वक

सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि :–

(1) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम)........................................ ..........................................................की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2016–17 के लिये उल्लेखित नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में आवेदन देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।

(3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

(4) मेरे द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए देय प्रतिभूति की राशि नगद अथवा बैंक की सावधि जमा रसीद अथवा नवीन बैंक गारन्टी के रूप में, दिनांक 03 मार्च, 2016 तक अथवा विनिर्दिष्ट अवधि में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(5) मैंने नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत जिला ....................... की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि कुल रूपये ........................निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :–

**(I)** नगद राशि रूपये.........................................

**(II)** बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर रूपये.........................................

योग :– रूपये

(6) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

(7) मैं लायसेंसी के रूप में वर्ष 2016–17 की देय लायसेंस फीस यथा समय जमा करूंगा/करूंगी।

(8) यदि मैं **कण्डिका क्रमांक–12** में उल्लेखित धरोहर राशि की अवशेष 50 प्रतिशत राशि दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक जमा नहीं की जाती है, तो मेरे द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि अथवा उसकी बैंक गारंटी तथा वर्ष 2016–17 के लिए जमा धरोहर राशि एवं अन्य कोई जमा राशि राजसात कर ली जाए तथा उसे आवंटित मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2016–17 के लिए सार्वजनिक रूप से निष्पादन कर दिया जाए। इस निष्पादन के फलस्वरूप यदि शासन को आरक्षित मूल्य से कम राशि का ऑफर प्राप्त होता है, तो अन्तर की खिसारा राशि आवेदक द्वारा देय होगी तथा यह राशि उससे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(9) यदि जिले में नवीनीकरण के लिये आवेदन–पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात यह परिलक्षित होता है कि जिले के 2015–16 हेतु निर्धारित वार्षिक मूल्य के 80 प्रतिशत से कम मूल्य की मदिरा दुकानों/एकल समूहों पर ही नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, तब नवीनीकरण द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के स्थान पर उस जिले की समस्त मदिरा दुकानों/एकल समूहों का निष्पादन टेण्डर आमंत्रित कर किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(10) मैं नवीनीकरण द्वारा निष्पादन प्रक्रिया उपरान्त प्रतिभूति की राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा।

(11) मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है।

(12) मेरा मोबाईल नम्बर ..................है, जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके। मेरा ई–मेल एड्रेस ...................... है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई–मेल के माध्यम से किया जा सके। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि ठेका अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस यही रहेगा। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी सूचना प्रस्तुत करूंगा।

(13) मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति/बैंक गारन्टी/सावधि जमा वर्ष 2016–17 के दौरान इस मदिरा दुकान /एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में मेरे नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(14) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के नवीनीकरण द्वारा निष्पादन के लिए मेरे द्वारा जिला समिति को प्रस्तुत सहपत्रों में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(15) यह कि मैं अनुज्ञप्तिधारक के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के 9 पोस्ट डेटेड बैंक चैक्स के मामले में चैक जारीकर्ता बैंक को ठेका अवधि में चैक्स का भुगतान रोकने के लिए निर्देशित नहीं करूंगा।

स्थान................................ हस्ताक्षर................................

दिनांक / /2016

## सत्यापन लेख

मैं, (नाम)........................................................................................(पिता/पति का नाम) श्री............................................................ शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र के चरण (1) से चरण (15) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान............................. हस्ताक्षर............................

दिनांक / /2016

## 21.2 टेण्डरदाता के लिए

प्रत्येक देशी/विदेशी मदिरा की फूटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

**शपथ–पत्र**

मैं स्वयं (नाम)........................................................................................................ (पिता/पति का नाम) .............................................................................................................................. निवासी (पता) ..................................................................................................................................................
शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि :–

(1) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम).......................................................... ...........................................................................की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूं।

(2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के वर्ष 2016–17 के लिये उल्लेखित टेण्डर की कार्यवाही में टेण्डर/ऑफर देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।

(3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

(4) मैंने टेण्डर प्रक्रिया द्वारा जिला ......................... की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह की निर्धारित धरोहर राशि की 50 प्रतिशत राशि, कुल रूपये ............................... निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गयी है :–

| | | |
|---|---|---|
| (I) | नगद राशि | रूपये............................................ |
| (II) | बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर | रूपये............................................ |
| | योग :– | रूपये |

(5) मैंने, बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

(6) मैं चयनित होने की दशा में प्रतिभूति की शेष राशि तथा अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के पोस्टडेटेड चैक्स निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा।

(7) मुझे यह ज्ञात है कि मदिरा दुकान के लिए निर्धारित क्षेत्र में आपत्तिरहित स्थल खोज कर वहां दुकान स्थापित व संचालित करने का दायित्व मेरा स्वयं का है।

(8) मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति/बैंक गारन्टी/सावधि जमा वर्ष 2016–17 के दौरान इस मदिरा दुकान/एकल समूह के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में मेरे नाम से स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकान/एकल समूह द्वारा की गई अनियमितताओं के लिए भी बंधनकारी होगी। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(9) मेरा मोबाईल नम्बर ...................है, जिससे किसी भी स्थिति में मुझसे दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके। मेरा ई–मेल एड्रेस ....................... है, जिससे किसी भी प्रकार की कार्यालयीन सूचना/कारण बताओ सूचना पत्र आदि का निर्वहन मुझे ई–मेल के माध्यम से किया जा सके। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि ठेका अवधि में मेरा मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस यही रहेगा। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है, तो मैं तत्काल संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में इसकी सूचना प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

(10) मेरे द्वारा टेण्डर प्रपत्र भाग–एक में अपने स्वयं के वर्तमान में धारित बचत/चालू बैंक खाते के प्रस्तुत **एक कैसिल्ड शब्द अंकित चैक** से संबंधित बचत/चालू बैंक खाते को सम्पूर्ण लायसेंस अवधि में जीवित रखूंगा/रखूंगी।

(11) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान/एकल समूह के टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए, मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार पत्र में एवं टेण्डर प्रपत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा मदिरा दुकानों के निष्पादन संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर कलेक्टर को टेण्डर में अंकित ऑफर को तथा लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा कराई गयी धरोहर राशि, अग्रिम धन, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि को जप्त/राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) यह कि मैं सफल टेण्डरदाता के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के 9 पोस्ट डेटेड बैंक चैक्स के मामले में चैक जारीकर्ता बैंक को ठेका अवधि में चैक्स का भुगतान रोकने के लिए निर्देशित नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान.................................

हस्ताक्षर.................................

दिनांक / /2016

**सत्यापन लेख**

मैं, (नाम)..........................................................................(पिता/पति का नाम) श्री.......................................................... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र के चरण (1) से चरण (12) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान.............................

हस्ताक्षर................................

दिनांक / /2016

**22. टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में**

टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक–एक दस्तावेज की किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित /क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गई छायाप्रति को **"मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है"** ऐसा अंकित कर, अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**22.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।**

(1) पासपोर्ट।
(2) स्थायी आयकर लेखा संख्या (**PAN**) कार्ड।
(3) निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (**EPIC CARD**)।
(4) ड्रायविंग लायसेंस।
(5) फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका
(6) आधार कार्ड

**22.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।**

(1) अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल।
(2) अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
(3) अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि–फिलिंग की रसीद।
(4) अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
(5) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
(6) स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र
(7) बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
(8) आधार कार्ड

**23. अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के पोस्ट डेटेड चैक जमा कराया जाना**

वर्ष 2016–17 के लिए नवीनीकरण अथवा टेण्डर अथवा अन्य किसी रीति द्वारा निष्पादित मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंसी को उसकी, मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर, एक माह के समानुपातिक वार्षिक मूल्य के समतुल्य राशि के माह मई, 2016 से माह जनवरी, 2017 तक प्रत्येक माह की पहली तिथि में जारी, नौ (09) पोस्ट डेटेड चैक, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में उसके वर्तमान में संधारित बचत/चालू खाते से संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किये गये हों, अतिरिक्त गारंटी के रूप में मदिरा दुकान/एकल समूह के निष्पादन के दिनांक से 20 दिवस अथवा दिनांक 30 मार्च 2016, जो भी पहले हो, जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त चैकों को वर्ष 2016–17 में किसी भी समय, एक माह से अधिक अवधि की वार्षिक लायसेंस फीस/बेसिक. लायसेंस फीस की देयता लंबित होने पर ही, बकाया लायसेंस फीस की वसूली हेतु बैंक में भेजा जायेगा। यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष में देय सम्पूर्ण वार्षिक मूल्य (बेसिक लायसेंस फीस +

वार्षिक लायसेंस फीस) चुका दिया जाता है तो, उपरोक्त पोस्ट डेटेड चैकों को लायसेंसी से प्राप्ति रसीद लेकर, मूलतः वापस कर दिया जायेगा। लायसेंसी इन पोस्ट डेटेड चैकों के संबंध में बैंक को कभी भी यह निर्देशित नहीं करेगा कि इन चैकों का भुगतान न किया जाये। इस संबंध में वह शपथ पत्र में भी उल्लेख करेगा।

**24. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना**

वर्ष 2016–17 के लिए नवीनीकरण अथवा टेण्डर अथवा अन्य किसी रीति द्वारा निष्पादित मदिरा दुकान/एकल समूह के लायसेंसी को उसकी, मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार निष्पादन एवं समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त ही उसे संबंधित मदिरा दुकान/दुकानों का लायसेंस जारी किया जायेगा।

**25 वर्ष 2017–18 के लिये मदिरा दुकानों का नवीनीकरण**

वर्ष 2016–17 के लिये निष्पादित देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों/एकल समूहों का वर्ष 2017–18 के लिये शासन द्वारा निर्धारित मूल्य एवं नीति अंतर्गत नवीनीकरण द्वारा निष्पादन किया जायेगा।

**26 ड्यूटी दरें :–**

**वर्ष 2016–17 के लिये देशी एवं विदेशी मदिरा के लिये डयूटी दर निम्नानुसार रहेगी :–**

**26.1 देशी मदिरा की ड्यूटी दरें**

25 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन की ड्यूटी दर एक समान रुपये 100/– प्रति प्रूफ लीटर रहेगी।

**26.2 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की ड्यूटी दरें**

| क्र | भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर | डयूटी दर |
|---|---|---|
| 1. | रुपये 600 तक | रुपये 115/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 2. | रुपये 601 से रुपये 700 तक | रुपये 125/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 3. | रुपये 701 से रुपये 800 तक | रुपये 145/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 4. | रुपये 801 से रुपये 1100 तक | रुपये 210/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 5. | रुपये 1101 से रुपये 1500 तक | रुपये 225/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 6. | रुपये 1501 से रुपये 2000 तक | रुपये 280/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 7. | रुपये 2001 से रुपये 3000 तक | रुपये 325/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 8. | रुपये 3001 से रुपये 4000 तक | रुपये 380/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 9. | रुपये 4001 से रुपये 6000 तक | रुपये 500/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 10. | रुपये 6001 से रुपये 8000 तक | रुपये 600/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 11. | रुपये 8001 से रुपये 10000 तक | रुपये 800/– प्रति प्रूफ लीटर |
| 12. | रुपये 10001 से अधिक | रुपये 1000/– प्रति प्रूफ लीटर |

**26.3 विदेशी मदिरा (बीयर) पर ड्यूटी**

वर्ष 2016–17 के लिये विदेशी मदिरा (बीयर) पर ड्यूटी प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 45 प्रतिशत अथवा रुपये 125/– प्रतिपेटी, जो भी अधिक हो, प्रभारित की जायेगी।

**26.4 Low Alcohlic Beverages रेडी टू ड्रिंक (Ready to drink) पेय पर ड्यूटी दर**

फलों के जूस, कोला, सोडा अथवा फ्लेवर के साथ तैयार किये गये ऐसे फलों के जूस, कोला, सोडा अथवा फ्लेवर के साथ तैयार किये गये 10 प्रतिशत तक **V/V** एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे रेडी टू ड्रिंक (**Ready to drink/Low Alcoholic Beverages**) पेय जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति केस (अधिकतम 24 बोतल/कैन (नग) की समेकित धारिता 9.0 बल्क लीटर तक) रुपये 700/– से अधिक हो, पर रुपये 35/– प्रति बल्क लीटर की दर से ड्यूटी प्रभारित की जायेगी।

**26.5 ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी**

बार लायसेंसों को प्रदाय की जाने वाली ड्राफ्ट बीयर पर वर्ष 2016–17 के लिये ड्यूटी रूपये 25/– प्रति बल्क लीटर की दर से प्रभारित की जायेगी।

**26.6** विदेशी मदिरा (वाइन) पर ड्यूटी

विदेशी मदिरा (वाईन) पर ड्यूटी दर रूपये 35/– प्रति बल्क लीटर रहेगी। जबकि मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर, मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन पर ड्यूटी दर पूर्ववत शून्य रहेगी।

**26.7** रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा पर ड्यूटी दर

वर्ष 2016–17 में रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर ड्यूटी, सिविलियन्स के लिए देय ड्यूटी का, रम के लिए 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा के लिए 50 प्रतिशत की दर से यथावत प्रभारित की जायेगी।

**नोटः– पेटी से आशय Low Alcohlic Beverages रेडी टू ड्रिंक पेय की अधिकतम 9 बल्क लीटर मात्रा एवं शेष विदेशी मदिरा की 12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य मात्रा से है।**

**27.** आयातित विदेशी मदिरा पर चुकाई गई बोतल फीस का समायोजन वार्षिक लायसेंस फीस में दिया जाना।

वर्ष 2016–17 में भी विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद **(Bottled in origin)** आयातित विदेशी मदिरा का राज्य में आयात किये जाते समय चुकाई गई बोतल फीस के समतुल्य राशि का समायोजन विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय के लायसेंसी को, संबंधित मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान की वार्षिक लायसेंस फीस में अनुमत किया जायेगा।

**28.** एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों में परस्पर वार्षिक मूल्य का अन्तरण

एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के **वार्षिक मूल्य** में समूह की देशी मदिरा दुकानों से विदेशी मदिरा दुकानों में अथवा विदेशी मदिरा दुकानों से देशी मदिरा दुकानों में अधिकतम 20 प्रतिशत तक अन्तरण **(Transfer)** की अनुमति वर्ष 2016–17 में भी दी जा सकेगी। तदनुसार जिस देशी/विदेशी मदिरा दुकान में **वार्षिक मूल्य** के अन्तरण **(Transfer)** की अनुमति उपरोक्तानुसार दी जाती है, उस देशी/विदेशी मदिरा दुकान, जिसमें अन्तरण की अनुमति दी गयी है, में बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस समानुपातिक आधार पर अन्तरित **(Transfer)** होगी। यह अन्तरण संबंधित लायसेंसी की मांग एवं आवश्यकता का परीक्षण कर, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता के अनुमोदन उपरान्त अनुमत किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार आदेशित अन्तरण वर्ष 2016–17 के दौरान विपर्यय **(Reversible)** नहीं होगा। अर्थात वर्ष 2016–17 के दौरान एकल समूह की देशी मदिरा दुकान से, यदि विदेशी मदिरा दुकान में **वार्षिक मूल्य** का अन्तरण अनुमत किया गया है, तो वर्ष के दौरान उसी समूह की विदेशी मदिरा दुकान से देशी मदिरा दुकान में अथवा एकल समूह की विदेशी मदिरा दुकान से यदि देशी मदिरा दुकान में **वार्षिक मूल्य** का अन्तरण अनुमत किया गया है, तो वर्ष के दौरान उसी समूह की देशी मदिरा दुकान से विदेशी मदिरा दुकान में वार्षिक मूल्य का अन्तरण अनुमत नहीं होगा। ऐसी अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से आदेशित न की जाकर, आदेश जारी किये जाने के दिनांक के आगामी पक्ष से प्रभावी होगी।

**29.** न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण व मुद्रण

**29.1** वर्ष 2016–17 के लिए प्रत्येक लेबिल व प्रत्येक धारिता की विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) के साथ–साथ, देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल का न्यूनतम विक्रय मूल्य **(MSP)** तथा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य **(MRP)** निर्धारित किये जाने व बोतल पर चिपकाये जाने वाले लेबिल पर उसका मुद्रण किये जाने की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभावी रहेगी।

**29.2** वर्ष 2016–17 के लिए देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य **(M.S.P.)** में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य **(M.R.P.)** निर्धारित किया जायेगा।

**29.3** वर्ष 2016–17 के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य **(M.S.P.)** में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य **(M.R.P.)** निर्धारित किया जायेगा।

**29.4** देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.R.P.**) का निर्धारण निकटतम रूपये 5 के गुणांक में किया जायेगा।

**29.5** मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंसी न्यूनतम विक्रय मूल्य **(MSP)** एवं अधिकतम विक्रय मूल्य **(MRP)** अथवा उसके बीच की कोई राशि, विक्रय दर के रूप उपभोक्ता से वसूल कर सकेगा।

**29.6** निर्धारित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) से कम मूल्य पर एवं निर्धारित अधिकतम फुटकर

विक्रय मूल्य (**M.R.P.**) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय किया जाना, गंभीर अनियमितता मानकर संबंधित मदिरा दुकान का स्वीकृत लायसेंस कम से कम एक दिन के लिये अथवा अधिकतम पांच दिन के लिये अनिवार्यतः निलंबित किया जाएगा। दो से अधिक बार ऐसी अनियमितता पाये जाने पर उक्त मदिरा दुकान का लायसेंस वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा।

**29.7** वर्ष की शेष अवधि के लिये लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप, यदि ऐसी मदिरा दुकान किसी समूह में सम्मिलित है, तो उक्त समूह की समस्त मदिरा दुकानों का लायसेंस भी वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा।

**29.8** जिन मदिरा दुकानों का लायसेंस वर्ष 2016–17 की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा, उन मदिरा दुकानों को लायसेंस निरस्त किये जाने के दिनांक से विभागीय नियंत्रण के अधीन लिया जायेगा। साथ ही मूल लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर, उक्त मदिरा दुकानों की वर्ष 2016–17 की शेष अवधि के लिए टेण्डर द्वारा पुनःनिष्पादन की कार्यवाही की जायेगी। पुनःनिष्पादन की इस कार्यवाही में यदि शासन को कोई हानि होती है अथवा खिसारा परिलक्षित होता है तो ऐसी हानि/खिसारे की राशि मूल अनुज्ञप्तिधारी से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। यदि पुनःनिष्पादन की कार्यवाही में अधिक राजस्व प्राप्त होता है, तो इस पर शासन का अधिकार होगा।

**30. होलोग्राम**

वर्ष 2016–17 में भी विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं देशी मदिरा की प्रत्येक किस्म एवं प्रत्येक धारिता की बोतल पर विभाग द्वारा निर्धारित सिक्योरिटी होलोग्राम यथावत लगाया जायेगा।

**31. शॉप बार लायसेंस**

वर्ष 2016–17 में भी विदेशी मदिरा की ऑफ श्रेणी की दुकानों में "शॉप–बार (**Shop-Bar**) लायसेंस निम्न प्रतिबन्धों के अधीन गुण–दोष के आधार पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किये जा सकेंगे :–

**31.1** "शॉप–बार" का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) कम से कम 300 वर्गफीट होगा। ऐसा परिसर संबंधित विदेशी मदिरा दुकान से लगा होना अनिवार्य होगा, ताकि ग्राहक दुकान से विदेशी मदिरा का क्रय कर, उसका उपभोग इस परिसर में कर सकें। नगर निगम क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों को छोड़कर, यह सुविधा एक से अधिक तल पर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों के साथ शॉप बार का स्थान, यदि एक ही तल पर उपलब्ध नहीं है, तब स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन एवं परीक्षण कर, विदेशी मदिरा दुकान से लगे हुए एक से अधिक तल पर निर्धारित क्षेत्रफल का कवर्ड एरिया (उपभोग परिसर) उपलब्ध होने पर कलेक्टर इसमें अपवाद स्वरूप शॉप बार लायसेंस स्वीकृत करने के लिये अधिकृत होंगे।

**31.2** "शॉप–बार" परिसर अनिवार्यतः एयर कूल्ड/एयर कन्डीशन्ड होगा।

**31.3** "शॉप–बार" परिसर में शुद्ध जल की उपलब्धता अनिवार्य होगी।

**31.4** "शॉप–बार" परिसर में शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

**31.5** "शॉप–बार" में फर्नीचर, हवा, प्रकाश एवं अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था होगी। "शॉप–बार" परिसर में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य–रक्षा (**Hygiene**) का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

**31.6** "शॉप–बार" 12 फीट से कम चौड़ी गली में स्थित नहीं होगा।

**31.7** "शॉप–बार" में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी।

**31.8** "शॉप–बार" का संचालन लायसेंसी द्वारा स्वयं किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को संचालन की पात्रता नहीं होगी। ऐसा पाया जाने पर "शॉप–बार" हेतु स्वीकृत एफ.एल.–1–ख लायसेंस निरस्त कर दिया जावेगा।

**32. देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था**

**वर्ष 2016–17 के लिये देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :–**

**32.1** वर्ष 2016–17 में देशी मदिरा की दो किस्में मसाला 25 डिग्री अन्डरप्रूफ एवं प्लेन 50 डिग्री अन्डरप्रूफ पूर्ववत प्रचलन में रहेंगी। देशी मदिरा मसाला **"रंगीन"** तथा प्लेन मदिरा **"रंगहीन"** होगी।

**32.2** देशी मदिरा की भराई पूर्वानुसार शब्द "देशी मदिरा" व "म0प्र0 आबकारी" तथा बोतल की धारिता उत्कीर्ण की हुई कांच की बोतलों में की जाएगी। कांच के साथ पैट बोतलों में भी देशी मदिरा की भराई की जाएगी। पैट बोतलों में बोतल की धारिता उत्कीर्ण होगी।

**32.3** देशी मदिरा का प्रदाय कांच तथा पैट बोतलों में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी की मांग अनुसार किया जायेगा। इसके लिए संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अधिकृत होंगे, जिनके निर्देशानुसार देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागारों के मद्य भाण्डागार अधिकारी इस आशय का मांग पत्र प्रदाय संविदाकार को भेजेंगे कि उन्हें कांच और पैट

में कितनी–कितनी और किस–किस धारिता की बोतल बन्द देशी मदिरा भेजी जाये।

**32.4** देशी मदिरा की बोतलों की धारिता पूर्वानुसार 750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर तथा 180 मिलीलीटर की होगी।

**32.5** देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की प्रत्येक पेटी में 750 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 12 नग, 375 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 24 नग तथा 180 मिलीलीटर धारिता की बोतलों के 50 नग होंगे। देशी मदिरा तीन प्लाई के मजबूत कोरोगेटेड बॉक्स में प्रदाय संविदाकार आसवक द्वारा अपनी बॉटलिंग इकाई में पैक की जाएगी।

**32.6** फुटकर ठेकेदार अपनी आवश्यकता के अनुसार बोतल बंद देशी मदिरा, वर्तमान स्टोरेज मद्य भाण्डागार के माध्यम से शासन द्वारा अनुमोदित किये गये आसवक/प्रदाय संविदाकार से निम्न वर्णित प्रति पेटी दरों पर क्रय कर सकेगा। कांच एवं पैट बोतलों की प्रति पेटी कीमत पृथक–पृथक होगी, किन्तु कांच में अथवा पैट में बोतल, अद्धा तथा पाव की पेटियों की प्रदाय दर एक समान होगी।

**32.7**

| क्रम | किस्म मदिरा | प्रतिपेटी प्रदाय दर (रूपयों में) | |
|---|---|---|---|
| | | कांच | पैट |
| 1 | 25 डिग्री अण्डर प्रूफ मसाला | 496 | 449 |
| 2 | 50 डिग्री अण्डर प्रूफ प्लेन | 425 | 380 |

**32.8** **देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को उसकी देशी मदिरा दुकान की पाक्षिक लायसेंस फीस के आधार पर, दुकान में कम से कम एक दिन की औसत खपत के 10 प्रतिशत के समतुल्य देशी मदिरा का संग्रह, कांच की बोतलों में हमेशा रखने की अनिवार्यता के प्रतिबंध को समाप्त किया जाता है।**

**32.9** देशी मदिरा भाण्डागार से उसी किस्म एवं धारिता की बोतल बंद देशी मदिरा प्रदाय की जाएगी, जो तत्समय गोदाम में भण्डारित होकर प्रदाय के लिये उपलब्ध होगी।

**32.10** देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को देशी मदिरा का प्रदाय लेने पर देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार को देय वैट (वेल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान पृथक से करना होगा।

**32.11** वर्ष 2016–17 के दौरान देशी मदिरा की आपूर्ति उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार से भी की जा सकेगी, जैसा कि इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेशित किया जाये।

**32.12** वर्ष 2016–17 में देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन की कांच एवं पैट बोतलों की पेटियों (बोतल, अद्धा तथा पाव) के आपूर्तिकर्ता प्रदाय संविदाकार द्वारा धारितावार पेटी का वजन घोषित किया जाकर उसे पेटी के कार्टन पर मुद्रित/चस्पा किया जायेगा। संदेह की स्थिति में, देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को देशी मदिरा के स्टोरेज भाण्डागारों पर देशी मदिरा की पेटी/पेटियों को तौल कर, उस पर अंकित वजन अनुसार प्रदाय दिया जा सकेगा।

**32.13** प्रदाय संविदाकार द्वारा वर्ष 2016–17 में जिस जिले (प्रदाय क्षेत्र) के लिये देशी मदिरा प्रदाय की जा रही है, उस जिले (प्रदाय क्षेत्र) का नाम देशी मदिरा की प्रत्येक धारिता की (750 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर तथा 180 मिलीलीटर) के लेबिल पर मुद्रित किया जायेगा।

**33. <u>विदेशी मदिरा का प्रदाय</u>**

**33.1** वर्ष 2016–17 में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा मांग अनुसार चाही गयी विदेशी मदिरा का प्रदाय, देय कीमत का पृथक से भुगतान किये जाने पर संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालय सिवनी, शहडोल, छतरपुर व शिवपुरी, जिला होशंगाबाद के इटारसी, जिला रतलाम के जावरा तथा जिला खरगौन के सनावद में स्थापित विभागीय नियंत्रण के अधीन संचालित विदेशी मदिरा भांडागारों के माध्यम से, पूर्व आदेशित व्यवस्था अनुसार किया जाएगा।

**33.2** वर्ष 2016–17 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी को विदेशी मदिरा का प्रदाय लेने पर देय वैट (वेल्यू एडेड टैक्स) की राशि का भी भुगतान पृथक से करना होगा।

**33.3** वर्ष 2016–17 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के स्वामित्व की इकाईयों सहित सभी रेस्टोरेंट बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) तथा क्लब बार (एफ.एल.–4/4–क) लायसेंस अन्तर्गत उस जिले में जहां ऐसी होटल इकाई स्थित एवं संचालित

है, के लिये नामांकित विदेशी मदिरा भाण्डागार से लेबिल विशेष की न्यूनतम एक पेटी (नियमानुसार स्पिरिट के मामले में 12 क्वार्ट बोतल तथा वाईन एवं बीयर के मामले में 12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य) विदेशी मदिरा का प्रदाय उस लेबिल विशेष की प्रति बोतल घोषित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) के आधार पर एक पेटी के लिये भुगतान योग्य राशि एवं उस पर देय वैट टैक्स के पृथक से किये गये भुगतान के विरूद्ध प्रदाय की जायेगी।

**33.4** विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की समस्त दुकानों एवं बार लायसेंसियों को विदेशी मदिरा भाण्डागार से उसी किस्म, लेबिल एवं साईज की विदेशी मदिरा प्रदाय की जायेगी, जो तत्समय विदेशी मदिरा भाण्डागार में भण्डारित होकर प्रदाय के लिये उपलब्ध होगी।

**33.5** विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाइयों द्वारा वर्ष 2016–17 में अपने विदेशी मदिरा उत्पादों की सभी पेटियों का धारितावार वजन घोषित कर कार्टन पर मुद्रित/ चस्पा किया जायेगा। संदेह की स्थिति में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री दुकान के लायसेंसी को विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर विदेशी मदिरा की पेटी/पेटियों को तौल कर, उस पर अंकित वजन अनुसार प्रदाय दिया जा सकेगा।

**33.6** विदेशी मदिरा भाण्डागारों में, किसी पक्ष में विदेशी मदिरा के प्रदाय हेतु नियत अंतिम कार्य दिवस को, यदि विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के दुकान के लायसेंसी द्वारा समस्त औपचारिकताओं यथा विदेशी मदिरा की देय कीमत, देय वैट कर की राशि, देय परिवहन फीस एवं देय आयकर की राशि जमा करा दी जाती है, लेकिन विदेशी मदिरा भाण्डागार पर कार्याधिक्य के कारण विदेशी मदिरा का प्रदाय उसी दिन दिया जाना संभव न हो सके, तो विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी, दैंनदिनी डी–21 में ऐसे कारणों एवं तथ्यों को अभिलिखित कर, आगामी कार्य दिवस को भी प्रदाय दिये जाने के लिये अधिकृत होंगे। ऐसे प्रकरणों में किसी भी जिला कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता तिथि, उस अंतिम कार्य दिवस को समाप्त भी हो रही हो, तब भी इस स्थिति में उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के विरूद्ध, उसके आगामी कार्य दिवस में परिवहन पारपत्र जारी किये जाने के लिये संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी अधिकृत होंगे।

**34. विदेशी मदिरा भाण्डागार से प्रदायित विदेशी मदिरा पर देय परिवहन फीस एवं उसका जमा कराया जाना।**

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों द्वारा विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर) की प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर पर 8 प्रतिशत की दर से परिवहन फीस पूर्ववत देय होगी। वर्ष 2016–17 में देय परिवहन फीस की राशि भी विदेशी मदिरा भाण्डागारों पर विदेशी मदिरा की कीमत जमा कराये जाने के लिये अधिकृत बैंक में ही जमा करायी जायेगी।

**35. <u>ड्राफ्ट बीयर के प्रदाय के संबंध में</u>**

**(1)** वर्ष 2016–17 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की एफ.एल.–1/एफ.एल.–1 ककक दुकानों से लूज (गैर बोतल बन्द) ड्राफ्ट बीयर का विक्रय नहीं किया जायेगा।

**(2)** लूज (गैर बोतल बन्द) ड्राफ्ट बीयर, केवल रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क), सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.–4), व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4क), आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल.–5) तथा सैनिक कैन्टीन क्लब बार (एफ.एल.–8) लायसेंसी को नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर, उत्पादन इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र पर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु के लिए प्रदाय की जाएगी।

**36. <u>बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस जमा करने की प्रक्रिया</u>**

**36.1** वर्ष 2016–17 के लिये निष्पादित की गई मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए निर्धारित बेसिक लायसेंस फीस में से देय एवं जमा कराई गई धरोहर राशि को कम करने के पश्चात् शेष बेसिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगीं। वर्ष के प्रथम त्रैमास में उक्त का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा, यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है, तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात ठेका अवधि की अंतिम किश्त 25 मार्च 2017 तक जमा करना अनिवार्य होगा। **<u>अनुज्ञप्तिधारक (लायसेंसी) को उपरोक्तानुसार जमा बेसिक लायसेंस फीस के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।</u>**

**36.2** वर्ष 2016–17 में मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए परिगणित वार्षिक लायसेंस फीस 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होंगीं। वर्ष के प्रथम त्रैमास में

वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग का क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा। यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात ठेका अवधि की अंतिम किश्त 25 मार्च 2017 तक जमा करना अनिवार्य होगा। 25 मार्च, 2017 के पश्चात् जमा राशि के विरूद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। दिनांक 25 मार्च 2017 को जमा चालानों पर 27 मार्च 2017 तक ही प्रदाय दिया जायेगा।

**36.3** देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा देशी मदिरा तथा/अथवा विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) की जो मात्रा क्रय की जायेगी, उसके एवज में निर्धारित दरों पर जमा ड्यूटी की राशि, उसकी संबंधित पक्ष की वार्षिक लायसेंस फीस की समतुल्य निर्धारित, पाक्षिक मांग के विरूद्ध समायोजित की जायेगी।

**36.4** यदि किसी पक्ष के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के समतुल्य मदिरा क्रय करने के उपरांत अनुज्ञप्तिधारी और अधिक मदिरा क्रय करता है, तो उसे इसके लिये समानुपातिक वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस भी जमा करानी होगी। इस प्रकार अधिक जमा ड्यूटी की राशि एवं वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस का समायोजन संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आगामी अवधि की वार्षिक लायसेंस फीस/वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस की मांग के विरूद्ध अनुमत किया जा सकेगा।

**36.5** यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय बेसिक लायसेंस फीस की निर्धारित पाक्षिक किश्त उसी पक्ष में जमा नहीं कराई जाती है, तो आगामी पक्ष में जमा की गयी वार्षिक लायसेंस फीस की राशि को, प्रथमतः पिछले पक्ष की शेष रही बेसिक लायसेंस फीस के विरूद्ध उस सीमा तक समायोजित किया जायेगा, जिस सीमा तक देय बेसिक लायसेंस फीस अवशेष रही है एवं इस राशि के विरूद्ध, उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। यदि अवशेष बेसिक लायसेंस फीस सम्पूर्ण रूप से **आगामी पक्ष के प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों** की समाप्ति तक जमा नहीं कराई जाती है, तो उस अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा/अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी ।

**36.6** यदि किसी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा संबंधित पक्ष की देय वार्षिक लायसेंस फीस की निर्धारित पाक्षिक किश्त, उसी पक्ष में जमा न कराई जाकर, **आगामी पक्ष के प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों** में जमा कराई जाती है तो, ऐसी विलम्ब से जमा कराई गई वार्षिक लायसेंस फीस की राशि के विरूद्ध उसे मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी। यह अवशेष वार्षिक लायसेंस फीस, यदि **आगामी पक्ष के प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों** की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस अवधि की समाप्ति पर उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा/अथवा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।

**36.7** एकल समूह की मदिरा दुकानों का पृथक–पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा, किन्तु एकल समूह की किसी भी एक या एक से अधिक दुकानों की पाक्षिक बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस बकाया रहने पर, वह बकाया संपूर्ण एकल समूह की बकाया मानी जाएगी। ऐसी बकाया रहने पर, उस एकल समूह की किसी भी दुकान को **आगामी पक्ष के प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों** में तब तक मदिरा का प्रदाय नहीं किया जाएगा, जब तक उस एकल समूह की समस्त मदिरा दुकानों की अवशेष बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस जमा न हो जाए। यह बकाया बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस यदि **आगामी पक्ष के प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों** की समाप्ति के पूर्व जमा नहीं कराई जाती है तो, उस अवधि की समाप्ति पर संपूर्ण एकल समूह का लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा, तथा/अथवा एकल समूह की सभी दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी।

**37.** **देशी एवं विदेशी मदिरा के पाक्षिक प्रदाय की प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से व्यवस्था**

**37.1** मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारक को किसी पक्ष में देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध, मदिरा प्राप्त करने के लिये बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर द्वारा अथवा नगद जमा ड्यूटी की राशि का कोषालय चालान, राशि जमा किये जाने के 05 दिवस के अन्दर अथवा पक्षांत तक, जो

भी पहले हो, संबंधित भाण्डागार अधिकारी अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

**37.2** माह मार्च द्वितीय पक्ष को छोड़कर, अन्य किसी भी माह के प्रथम अथवा द्वितीय पक्ष में ड्यूटी की बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर द्वारा अथवा नगद जमा राशि के चालान पर, ड्यूटी की राशि जमा किये जाने के दिनांक से 05 दिन बाद तक की अवधि में ही लायसेंसी को देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के प्रदाय की पात्रता होगी।

**37.3** अनुज्ञप्तिधारक को पक्षांत तक जमा राशि के विरूद्ध पक्षांत पश्चात् प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों में मदिरा का प्रदाय तभी देय होगा, जब उस (विगत) पक्षांत तक देय सम्पूर्ण बेसिक लायसेंस फीस अनुज्ञप्तिधारक द्वारा संबंधित पक्षान्त के आगामी प्रथम पांच कार्यकारी दिवसों की अवधि में ही पूर्ण रूप से जमा कर दी गई हो।

**37.4** पांच (05) दिनों की इस अवधि में, जिस दिन राशि जमा की गई है, वह दिन एवं सार्वजनिक अवकाश/बैंक अवकाश एवं बैंक हड़ताल के दिन (यदि कोई हों) गणना में नहीं लिये जायेंगे।

**37.5** अन्यथा स्थिति में बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर द्वारा अथवा नगद जमा ड्यूटी की राशि को संबंधित लायसेंसी की उस पक्ष की वार्षिक लायसेंस फीस की पाक्षिक मांग के विरूद्ध, नगद राशि जमा मानकर समायोजित किया जायेगा। लायसेंसी को ड्यूटी की ऐसी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर द्वारा अथवा नगद जमा राशि के विरूद्ध पश्चातवर्ती अवधि में मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी।

**37.6** प्रशासनिक कारणों से एवं भविष्य में मदिरा दुकानों का पुर्ननिष्पादन किये जाने के स्थान पर राजस्व हित में मदिरा दुकानों का संचालन, वर्तमान लायसेंसी द्वारा किया जा सके, ऐसे प्रकरणों में स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में शासन राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु ऐसे प्रावधानित बन्धनों से छूट देने का निर्णय लिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश अधिकृत होंगे।

**37.7** जनरल क्लाजेज एक्ट (साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा–7 के अनुसार, यदि मध्यप्रदेश में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य को करने के लिए कोई निश्चित तिथि या अवधि के अन्तिम दिवस में कार्यालय बन्द हो और यदि उसके अगले कार्यकारी दिवस में वह कार्य किया जाता है तो, उस कार्य को समय पर किया जाना माना जाएगा। तदनुसार यदि पक्ष के अन्तिम दिवस/दिवसों में निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत घोषित अवकाश में बैंक बन्द रहता है, जिसके कारण पक्ष के अन्तिम कार्यकारी दिवस में बेसिक/वार्षिक लायसेंस फीस जमा न की जाकर, उसके बाद आने वाले कार्यकारी दिवस में जमा की जाती है, तो ऐसी जमा बेसिक/वार्षिक लायसेन्स फीस को पूर्ववर्ती पक्ष में जमा लायसेन्स फीस मानकर कार्यवाही की जायेगी।

**38. <u>वार्षिक मूल्य जमा होने के बाद मदिरा का प्रदाय</u>**

किसी मदिरा दुकान की वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित वार्षिक बेसिक लायसेंस फीस (वार्षिक मूल्य की 60 प्रतिशत राशि) सम्पूर्ण रूप से जमा हो जाने के उपरांत, वर्ष की शेष अवधि में संबंधित दुकान को मदिरा का प्रदाय दिये जाने के लिये अतिरिक्त रूप से बेसिक लायसेंस फीस जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लायसेंसी को उसकी मांग अनुसार मदिरा का प्रदाय बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर द्वारा अथवा नगद जमा ड्यूटी के विरूद्ध दिया जायेगा। अर्थात वर्ष 2016–17 के लिये किसी लायसेंसी द्वारा उसकी मदिरा दुकान (एकल समूह की स्थिति में समूह में सम्मिलित सभी मदिरा दुकानों) के पूरे वर्ष की बेसिक लायसेंस फीस जमा कर दिये जाने की स्थिति में मदिरा का प्रदाय लेने पर ड्यूटी एवं देशी/विदेशी मदिरा की कीमत, देय आयकर एवं वैट (विदेशी मदिरा के मामले में परिवहन फीस) आदि के भुगतान के विरूद्ध अनुमत होगा। ऐसी स्थिति में प्रदाय की जाने वाली मदिरा की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, किन्तु इस संबंध में सामान्य लायसेंस शर्त 29 के प्रावधान लागू होंगे। सामान्य लायसेंस शर्त 29 के अनुसार यदि किसी दुकान में, मदिरा प्रदाय एक सीमा से अधिक संभव न हो, तो इस नियम के परन्तुक के आधार पर कलेक्टर के लिखित आदेश से अतिरिक्त मदिरा की आपूर्ति के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

**39. <u>मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से उसी प्रकार की अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण</u>**

वर्ष 2016–17 में किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर, उसे उसी जिले की उसी प्रकार की अन्य दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। इसके लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर रूपये 10.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रूपये 5.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस, जिस दुकान से मदिरा का अन्तरण किया जा रहा है, उस अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी।

**40. अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण**

**40.1** वर्ष 2015–16 में ठेका अवधि समाप्त होने पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को वर्ष 2016–17 के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त 25 के अनुपालन में अंतरित करना होगा। इस अंतरित मदिरा स्कंध पर वर्ष 2015–16 में भुगतान की गयी ड्यूटी की राशि का समायोजन, वर्ष 2016–17 की वार्षिक लायसेंस फीस में मान्य नहीं होगा। यदि वर्ष 2016–17 में लायसेंसी को ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है, तो केवल ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि, उसकी वर्ष 2016–17 की देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजन योग्य होगी। सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी इस तरह के मदिरा अंतरण की अनुमति अपने जिले में ही दे सकेंगे।

**40.2** यदि लायसेंसी को यदि वर्ष 2016–17 के लिए उसी जिले में उसी स्वरूप की कोई अन्य मदिरा दुकान आंवटित नहीं होती है, लेकिन किसी अन्य जिले में उसी स्वरूप की कोई मदिरा दुकान आंवटित होती है, तो केवल ऐसी स्थिति में ही दिनांक 30 अप्रैल 2016 तक प्राप्त ऐसे प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अंतरण की अनुमति दी जाने पर, अवशेष मदिरा स्कंध देशी मदिरा, विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन) पर रूपये 10.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर पर रूपये 5.00 प्रति बल्क लीटर की दर से परिवहन फीस प्रभारित की जायेगी।

**41. मदिरा दुकानों की बिक्री का समय**

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ–सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण/संधारित किये जाने के लिये मदिरा दुकानें प्रातः 8.30 बजे से खोली जायेंगी। प्रातः 8.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9.30 बजे से रात्रि में 11.30 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेन्ट, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री एवं उपभोग का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक यथावत रहेगा।

**42. दुकानों का निरीक्षण**

प्रत्येक लायसेंसी को अपने लायसेंस परिसर में विभाग द्वारा जारी की गई निरीक्षण पुस्तिका **एवं मदिरा के प्रारंभिक संग्रह, आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों का** संधारण करना अनिवार्य होगा। इसमें आबकारी विभाग सहित किसी भी अधिकारी को दुकान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पूर्व अपना नाम, पदनाम, आगमन का दिनांक व समय अंकित करने के साथ हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात ही वह अग्रिम कार्यवाही करेगा। ऐसी कार्यवाही का संक्षिप्त सारगर्भित विवरण भी उक्त निरीक्षण पुस्तिका में अंकित किया जायेगा। यह निरीक्षण पुस्तिका आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा नियत की गई कीमत के अग्रिम भुगतान के विरूद्ध लायसेंसी को प्रदाय की जायेगी। लायसेंसी को अपनी दुकान में क्लोज सर्किट टेलीविजन या वीडियो कैमरा के उपयोग की अनुमति होगी। लायसेंस परिसर/दुकान के निरीक्षण के लिये अधिकृत किसी अधिकारी को यदि निरीक्षण पुस्तिका, निरीक्षण टीप अंकित करने हेतु प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो इसे गंभीर उल्लंघन मानकर कार्यवाही की जायेगी।

**43. लायसेंस का हस्तांतरण**

**(1)** वर्ष 2016–17 के लिये निष्पादित मदिरा दुकानों के लायसेंसी द्वारा निष्पादन उपरांत किसी अपरिहार्य परिस्थिति में उसकी मदिरा दुकान/एकल समूह का अन्तरण, लायसेंस की शेष अवधि के लिये किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में किया जाता है, तो ऐसा अन्तरणकर्ता (मूल लायसेंसी) उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य आदि का भुगतान करने के लिए बाध्य रहेगा। साथ ही वह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी जिसके नाम लायसेंस का हस्तांतरण किया जायेगा (अंतरणग्रहीता) भी उक्त मदिरा दुकान/ एकल समूह के वार्षिक मूल्य आदि का सम्यक भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेंगे। मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस के ऐसे हस्तांतरण के लिए उस मदिरा दुकान/एकल समूह के वर्ष 2016–17 के वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत के समतुल्य राशि हस्तांतरण फीस के रूप में पृथक से अग्रिम जमा करायी जायेगी।

**(2)** वर्ष 2016–17 एवं आगामी अवधि के लिए निष्पादित मदिरा दुकानों के सफल अथवा चयनित टेण्डरदाता/लायसेंसी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का अन्तरण लायसेंसी के वैध वारिस अर्थात उसकी पत्नी अथवा उसके पारिवारिक सदस्य के पक्ष में किये जाने पर, ऐसा अन्तरणकर्ता उक्त मदिरा दुकान/एकल समूह के वार्षिक मूल्य आदि का सम्यक भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगा। ऐसी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लायसेंस के हस्तांतरण के लिए किसी भी रूप में कोई हस्तांतरण फीस देय नहीं होगी।

44. **वर्षान्त में प्रतिभूति का बेसिक लायसेंस फीस एवं वार्षिक लायसेंस फीस में समायोजन**

**44.1** देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पूर्व जब भी प्रतिभूति की राशि को कम कर, शेष सम्पूर्ण देय बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस एवं उस अवधि की अन्य कोई भी देय राशि जमा कर दी जाती है तथा लायसेंसी जमा प्रतिभूति की राशि का समायोजन, शेष रही बेसिक तथा वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध चाहता है तो, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति, संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह का वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ तक होने पर रूपये एक लाख एवं वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ से अधिक होने पर, प्रति अतिरिक्त रूपये एक करोड़ अथवा उसके अंश के लिये आनुपातिक रूप से रूपये एक लाख के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि प्राप्त कर आदेशित की जायेगी। अतिरिक्त प्रतिभूति की यह राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

**44.2** उपरोक्त **कण्डिका क्रमांक–44.1** अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त करने के उपरान्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लायसेंसी द्वारा नगद जमा अग्रिम प्रतिभूति की राशि में से, वर्ष 2016–17 के लिए देय अवशेष सम्पूर्ण बेसिक लायसेंस फीस की राशि कम करके, शेष राशि के विरूद्ध मदिरा का प्रदाय दिया जा सकेगा, किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित देय पाक्षिक लायसेंस फीस से अधिक मदिरा की मात्रा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

**44.3** प्रतिभूति की राशि यदि नगद जमा से भिन्न, बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा के रूप में है, तो ऐसी प्रतिभूति की राशि के विरूद्ध मदिरा का प्रदाय, बैंक गारंटी अथवा बैंक सावधि जमा की राशि मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में कोषालय चालान द्वारा जमा होने के उपरान्त ही अनुमत होगा।

45 **ठेका अवधि की समाप्ति पर प्रतिभूति राशि को 30 अप्रैल के पूर्व वापिस किया जाना।**

यदि किसी देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/एकल समूह का वर्ष 2016–17 का लायसेंसी अपनी जमा प्रतिभूति का रिफन्ड 30 अप्रैल 2017 के पूर्व चाहता है, तो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अभिलेखों में लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की सम्पूर्ण देय बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस एवं उस अवधि की अन्य सभी देय राशि जमा करा लिये जाने का प्रमाण पत्र अंकित कर, संबंधित मदिरा दुकान/ एकल समूह का वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ तक होने पर, रूपये एक लाख एवं वार्षिक मूल्य रूपये एक करोड़ से अधिक होने पर, प्रति अतिरिक्त रूपये एक करोड़ अथवा उसके अंश के लिये आनुपातिक रूप से रूपये एक लाख के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि प्राप्त कर, मूल प्रतिभूति की राशि को वापिस करने की अनुमति देने के लिये अधिकृत होंगे। अतिरिक्त प्रतिभूति की यह राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश ऑर्डर के रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी।

46. **मदिरा दुकानों के लिए गोदाम की व्यवस्था**

**46.1** विदेशी मदिरा दुकानों में, विदेशी मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों व आदेशित प्रतिबंधों के अधीन, संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा वर्ष 2016–17 में केवल नगर निगम/नगर पालिका/कैन्टोनमेन्ट क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में गोदाम स्वीकृत किया जा सकेगा। नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में गोदाम की स्वीकृति आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा दी जा सकेगी।

**46.2** नगर निगम/नगर पालिका/कैन्टोनमेन्ट/नगरपंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा दुकानों में मदिरा के संग्रह के लिये पर्याप्त स्थान न होने पर, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्देशों एवं इस संबंध में आदेशित प्रतिबंधों के अधीन गोदाम स्वीकृत किये जाने की अनुमति वर्ष 2016–17 में दी जा सकेगी।

47. **मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन के फुटकर बिक्री की अनुमति**

राज्य शासन द्वारा घोषित वाईन नीति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में ही विनिर्मित वाईन के विपणन के संबंध में कम्पनी रिटेल आउटलेट की भांति विनिर्माता इकाई द्वारा फ्रेंचाईजी/अधिकृत किये गये व्यक्ति को भी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर व मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास

निगम द्वारा चयनित/घोषित/पंजीकृत पर्यटन क्षेत्र/स्थानों पर भी ऐसी वाईन के फुटकर विक्रय के लिए एक या अधिक रिटेल आउट–लेट स्वीकृत किये जाने की अनुमति पूर्व निर्धारित शर्तों पर दी जा सकेगी। इन रिटेल आउटलेट पर वाईन की आपूर्ति विनिर्माणी (वाईनरी) से सीधे की जा सकेगी। जिले की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान और बार के लायसेंसी को उसी जिले के रिटेल आउटलेट से ऐसी वाईन प्रदाय की जा सकेगी। इसकी वार्षिक लायसेंस फीस पूर्ववत रुपये 100/– रहेगी।

**48. पुनर्निष्पादन**

वर्ष 2016–17 के लिए सार्वजनिक रूप से टेण्डर द्वारा निष्पादित किये जाने पर किसी भी मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनर्निष्पादन, इस आधार पर आदेशित नहीं किया जायेगा कि उसके निष्पादन के समय उपस्थित कोई टेण्डरदाता, निष्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर के विरूद्ध अधिक ऑफर देने का इच्छुक होकर, निष्पादित की गयी मदिरा दुकान के पुनर्निष्पादन की अपेक्षा रखता हो।

**49. लायसेंस अवधि के दौरान दुकान का पुर्निष्पादन**

लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन, वार्षिक मूल्य (बेसिक लायसेंस फीस एवं/अथवा वार्षिक लायसेंस फीस) जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि मदिरा दुकान/एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जिला समिति को उस मदिरा दुकान/एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार होंगे। एकल समूह की स्थिति में किसी एक मदिरा दुकान का लायसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति निर्मित होने पर, उक्त एकल समूह की सभी मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा। लायसेंस निरस्त किए जाने के पश्चात मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर, उस मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। मदिरा दुकान/एकल समूह का पुनः निष्पादन होने तक उसका विभागीय संचालन स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा। टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकान/एकल समूह के पुनः निष्पादन अथवा विभागीय संचालन में, वर्ष 2016–17 के लिए निष्पादन उपरान्त प्राप्त वार्षिक मूल्य की तुलना में, जो भी राशि कम प्राप्त होगी, वह मूल अनुज्ञप्तिधारी से वसूली योग्य होगी। पुनः निष्पादन किस मूल्य पर अंतिम किया जाए, इसके लिए जिला समिति को मैदानी वास्तविकताओं के आधार पर निर्णय लेने के अधिकार होंगे।

**50. मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों पर साईन बोर्ड**

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान के लायसेंसी द्वारा मदिरा दुकान पर अधिक से अधिक 10 फुट लम्बे एवं 4 फीट चौड़े/ऊंचे आकार का एक साइन बोर्ड लगाया जायेगा जिस पर हिन्दी/अंग्रेजी में मोटे अक्षरों में केवल मदिरा दुकान का प्रकार, उसकी अवस्थिति, लायसेंस का क्रमांक, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंसी का नाम अंकित होगा।

**51. शुष्क दिवस**

वर्ष 2016–17 के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगेः–

**51.1** 15 अगस्त, 2016 (स्वतंत्रता दिवस)

**51.2** 02 अक्टूबर, 2016 (महात्मा गांधी जयंती)

**51.3** 26 जनवरी, 2017 (गणतंत्र दिवस)

**(1)** इसके अतिरिक्त कलेक्टर को प्रशासकीय तथा लोकहित में यह भी अधिकार होगा कि किन्ही भी अतिरिक्त 4 दिनों के लिए किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक मदिरा दुकानें अथवा तहसील या जिले की समस्त मदिरा दुकानें बन्द करने के आदेश प्रसारित करें।

**(2)** लोक सभा तथा विधान सभा एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साधारण (जनरल) और उप निर्वाचन के समय मतदान तथा मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा आदेशित/निर्देशित व्यवस्थाओं के परिपालन में, मतदान क्षेत्र की मदिरा दुकानें अथवा मतगणना क्षेत्र की मदिरा दुकानें कलेक्टर द्वारा बन्द किया जाना आदेशित किया जा सकेगा।

**टीप–** स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायतें और ग्राम पंचायत शामिल है। ऐसे समय पर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की मदिरा दुकानें बन्द रहेगी, जहां निर्वाचन हो,

**(3)** यदि उक्त निर्धारित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस को कलेक्टर के लिखित आदेश से मदिरा दुकानें बन्द की जाती हैं, तो उन मदिरा दुकानों के बन्द रहने की अवधि में संबंधित दुकान के ठेकेदार को मदिरा दुकान के लिए निर्धारित लायसेंस फीस में आनुपातिक छूट की पात्रता होगी।

**52. अन्य कर**

ठेका अवधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर, फीस या चार्ज लगाया जावेगा तो, अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत बेसिक लायसेंस फीस अथवा वार्षिक लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

**53. मद्य निषेध की नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप दुकान बन्द करना**

राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई मदिरा दुकान/दुकानें बन्द की जाती हैं तो, इसके कारण लायसेंसी को शासन द्वारा कोई क्षति पूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से राज्य की किसी भी दुकान का पुनः निष्पादन करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसा करने का अधिकार शासन को होगा तथा उस पर किसी लायसेंसी की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय नहीं होगी। यदि लायसेंस की अवधि में लायसेंसी को किसी दैवीय विपत्ति अथवा प्राकृतिक प्रकोप के फलस्वरूप किसी प्रकार की क्षति होती है, तो लायसेंसी को किसी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

**54. सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था संबंधी कारणों के फलस्वरूप वार्षिक मूल्य में क्षतिपूर्ति स्वीकृत किया जाना।**

लायसेंस अवधि में सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था संबंधी कारणों के फलस्वरूप किसी क्षेत्र विशेष की मदिरा दुकानें बन्द किये जाने के आदेश के कारण, यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष के लिये देय वार्षिक मूल्य के आधार पर परिगणित सम्पूर्ण वार्षिक लायसेंस फीस की राशि के समतुल्य राशि की ड्यूटी की मदिरा का प्रदाय नहीं ले पाता है, तब ऐसी स्थिति में उसको मदिरा विक्रय की ऐसी हानि के संदर्भ में, समस्त स्थितियों का आंकलन कर समानुपातिक वार्षिक मूल्य की क्षतिपूर्ति का पात्र माना जा सकेगा। इस हेतु संबंधित जिले की जिला समिति द्वारा भेजे गये युक्तियुक्त एवं तथ्यात्मक प्रस्ताव पर राज्य शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा समानुपातिक वार्षिक मूल्य की क्षतिपूर्ति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

**55. ठेका की अवधि में निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना**

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन की ये सभी शर्तें, वर्ष 2016–17 के दौरान होने वाले पुनः निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में भी **यथावत** प्रभावशील रहेंगी।

**56. अन्य व्यवस्थायें लागू रहना**

मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं संचालन आदि के संबंध में पूर्ववर्ती वर्षों में प्रचलित अन्य समस्त प्रावधान, व्यवस्था एवं प्रक्रिया आदि जिनका उल्लेख उपरोक्त में नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाऐं, प्रावधान एवं प्रक्रिया पूर्ववत वर्ष 2016–17 के लिए लागू रहेंगे।

**57. बार लायसेंसों के संबंध में**

**57.1** किसी नगरीय (नगर निगम/नगर पालिका) क्षेत्र से भिन्न स्थान पर स्थापित व संचालित ऐसे स्तरीय रेस्टोरेंट/होटल, जिनका निर्माण रेस्टोरेंट बार/होटल बार लायसेंस की स्वीकृति हेतु निर्धारित नॉर्म्स अनुसार किया गया है, को नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर, वर्ष 2016–17 में नवीन होटल/रेस्टोरेंट बार लायसेंस की स्वीकृति का पात्र माना जायेगा।

**57.2** वर्ष 2016–17 में बार लायसेंसों को उनके निकटवर्ती दो भिन्न लायसेंसियों की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों से संबद्ध किया जायेगा।

**57.3** 2016–17 में बार लायसेंसी को संबंधित विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान से, विदेशी मदिरा के विक्रय के संबंध में जारी किये गये बिल बुक, जिसे संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित एवं प्रमाणित किया गया हो, पर यह प्रमाण पत्र मुद्रित कराया जायेगा कि संबंधित बिल के अन्तर्गत विक्रय की गई विदेशी मदिरा की बोतलों पर मुद्रित न्यूनतम विक्रय मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से वैट टैक्स का भुगतान अग्रिम किया गया है।

**57.4** वर्ष 2016–17 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के स्वामित्व की इकाइयों में स्थित रेस्तरांओं/होटलों के अतिरिक्त, आई.टी.डी.सी. होटल, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय/**HRACC** द्वारा अभिप्रमाणित तीन सितारा एवं उससे उच्च श्रेणी के सितारा होटलों अथवा प्रमाणित हैरिटेज होटलों (**Heritage Hotels**) सहित सभी रेस्तरां बार (एफ.एल.–2), होटल बार (एफ.एल.–3), रिसोर्ट बार (एफ.एल.–3–क) एवं क्लब बार (एफ.एल.–4/4–क) लायसेंसियों को, उस जिले में जहां ऐसी होटल इकाई स्थित एवं संचालित है, के लिये नामांकित विदेशी मदिरा भाण्डागार से विदेशी मदिरा

के सीधे प्रदाय की सुविधा दी जायेगी। जहां से वे लेबिल विशेष की न्यूनतम एक पेटी विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) नियमानुसार स्पिरिट के मामले में 12 क्वार्ट बोतल तथा वाईन एवं बीयर के मामले में 12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य का प्रदाय उस लेबिल की प्रति बोतल घोषित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (**M.S.P.**) के आधार पर पेटी के लिये भुगतान योग्य राशि एवं उस पर देय वैट टैक्स के पृथक से किये गये भुगतान के आधार पर, प्रदाय की जायेगी।

**57.5** मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम के स्वामित्व की इकाइयों से भिन्न बार लायसेंसियों को यह विकल्प प्रस्तुत करने की भी सुविधा रहेगी कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर उन्हें संबंधित विदेशी मदिरा भाण्डागार के स्थान पर, लायसेंस में नामांकित की गई निकटतम दो भिन्न लायसेंसियों की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों से उनकी मांग अनुसार विदेशी मदिरा का क्रय करने की अनुमति दी जायेगी।

**57.6** वर्ष 2016–17 के लिए समस्त रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं व्यवसायिक क्लब बार लायसेंसों की वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित मिनिमम गारंटी ही वर्ष 2016–17 के लिए यथावत निर्धारित रहेगी।

**57.7** वर्ष 2016–17 के लिये व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.–4–क) लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी नगरीय क्षेत्र के लिये निर्धारित लायसेंस फीस के समतुल्य प्रभारित की जायेगी।

**57.8** वर्तमान में संचालित रेस्तरां, होटल, रिसोर्ट एवं क्लब बार लायसेंस वर्ष 2016–17 के लिए किन निकटतम स्थित दो भिन्न लायसेंसियों की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों (एफ.एल.–1/एफ.एल.–1–कककक) से सम्बद्ध रहेंगे, इसकी घोषणा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन के बाद की जायेगी।

**57.9** वर्ष 2016–17 के लिए रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, क्लब बार अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/पुर्नस्वीकृति व संचालन आदि के संबंध में वर्ष 2015–16 में प्रचलित अन्य समस्त प्रावधान, व्यवस्था एवं प्रक्रिया जिनका उल्लेख उपरोक्त में नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाऐं, प्रावधान एवं प्रक्रिया पूर्ववत लागू रहेंगी।

**58 आकस्मिक लायसेंस एवं उसकी लायसेंस फीस।**

विदेशी मदिरा के आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल.–5) की स्वीकृति के आवेदन ऑन लाईन भी प्राप्त किये जायेंगे। आकस्मिक प्रयोजन से एक दिन (तिथि विशेष) के लिये (एफ.एल.–5) लायसेंस हेतु दैनिक लायसेंस फीस निम्नानुसार रहेगी :–

**58.1** निजी स्थल (स्वयं के निवास) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 2000/– प्रति लायसेंस।

**58.2** सार्वजनिक स्थल (जिसमें लॉजिंग एवं बोर्डिंग न हो, जैसे विवाह स्थल (मैरिज गार्डन)/सामुदायिक भवन) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 5000/– प्रति लायसेंस।

**58.3** लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा वाले नियमित भोजन विक्रय के केन्द्रों (होटल/रेस्टोरेंट) पर एक दिन (तिथि विशेष) के लिये विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु रूपये 10,000/– प्रति लायसेंस।

**59.** विलोपित।

**60.** वर्ष 2016–17 में स्वीकृत/जारी किये जाने वाले देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय–समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय–समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे।

**61.** जिले की मदिरा दुकानों के नवीनीकरण एवं टेण्डर द्वारा निष्पादन से संबंधित शर्तों के संबंध में तैयार किये गये विक्रय ज्ञापन की प्रति, रुपये 1000/– (रूपये एक हजार केवल) पृथक से नगद जमा करने पर, संबंधित जिला आबकारी कार्यालय से उपलब्ध हो सकेगी।

**62.** मध्यप्रदेश राज्य में नवीनीकरण के अभाव में अथवा नवीनीकरण से शेष बची मदिरा दुकानों/एकल समूहों की वर्ष 2016–17 के लिये टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही से संबंधित समूह चक्रवार, जिलावार टेण्डर प्रपत्र जमा करने का दिनांक व समय, टेण्डर खोले जाने का दिनांक व समय व जिलावार निष्पादन स्थल निम्नांकित अनुसार रहेंगे।

**<u>वर्ष 2016–17 के लिये मध्यप्रदेश में टेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथियां एवं स्थल</u>**

| समूह | समूह में सम्मिलित जिलों का नाम | संबंधित जिले में टेण्डर प्रपत्र जमा करने का दिनांक व समय | मदिरा दुकानों/एकल समूहों के टेण्डर खोले जाने की तिथि, दिन व समय | निष्पादन स्थल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| प्रथम | इन्दौर | दिनांक 26.02.2016 दिन शुक्रवार को 13.00 बजे दिन तक | दिनांक 26.02.2016 को दिन शुक्रवार को 14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक | कलेक्टोरेट, इन्दौर |
| | बैतूल | | | जिला आबकारी कार्यालय, बैतूल |
| | छिन्दवाड़ा | | | कलेक्टोरेट, छिंदवाड़ा |
| | भिण्ड | | | कलेक्टोरेट, भिण्ड |
| | नीमच | | | कलेक्टोरेट, नीमच |
| | टीकमगढ़ | | | संयुक्त कलेक्टोरेट, टीकमगढ़ |
| | सिंगरौली | | | कलेक्टोरेट, सिंगरौली |
| द्वितीय | धार | दिनांक 27.02.2016 दिन शनिवार को 13.00 बजे दिन तक | दिनांक 27.02.2016 दिन शनिवार को 14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक | कलेक्टोरेट, धार |
| | भोपाल | | | सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, भोपाल |
| | सिवनी | | | कलेक्टोरेट, सिवनी |
| | ग्वालियर | | | कलेक्टोरेट, ग्वालियर |
| | मन्दसौर | | | जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर |
| | दमोह | | | नवीन कलेक्टोरेट, दमोह |
| | सीधी | | | कलेक्टोरेट, सीधी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| तृतीय | झाबुआ | दिनांक 29.02.2016 दिन सोमवार को 13.00 बजे दिन तक | दिनांक 29.02.2016 दिन सोमवार को 14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक | कलेक्टोरेट, झाबुआ |
| | सीहोर | | | कलेक्टोरेट, सीहोर |
| | बालाघाट | | | नवीन कलेक्टोरेट परिसर, बालाघाट |
| | मुरैना | | | कलेक्टोरेट, मुरैना |
| | रतलाम | | | कलेक्टोरेट सभागृह, रतलाम |
| | छतरपुर | | | कलेक्टोरेट, छतरपुर |
| | शहडोल | | | संयुक्त जिला कार्यालय, शहडोल |
| चतुर्थ | अलीराजपुर | दिनांक 01.03.2016 दिन मंगलवार को 13.00 बजे दिन तक | दिनांक 01.03.2016 दिन मंगलवार को 14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक | कलेक्टोरेट, अलीराजपुर |
| | होशंगाबाद | | | कलेक्टोरेट, होशंगाबाद |
| | मण्डला | | | कलेक्टोरेट सभाकक्ष, मण्डला |
| | गुना | | | कलेक्टोरेट, गुना |
| | उज्जैन | | | कलेक्टोरेट, उज्जैन |
| | पन्ना | | | कलेक्टोरेट, पन्ना |
| | अनूपपुर | | | कलेक्टोरेट, अनूपपुर |
| पंचम | बड़वानी | दिनांक 02.03.2016 दिन बुधवार को 13.00 बजे दिन तक | दिनांक 02.03.2016 दिन बुधवार को 14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक | कलेक्टोरेट, बड़वानी |
| | राजगढ़ | | | नवीन कलेक्टोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा) |
| | जबलपुर | | | कलेक्टोरेट, जबलपुर |
| | दतिया | | | संयुक्त कलेक्टोरेट भवन, दतिया |
| | शाजापुर | | | कलेक्टोरेट, शाजापुर |
| | सागर | | | कलेक्टोरेट, सागर |
| | उमरिया | | | कलेक्टोरेट, उमरिया |
| षष्ठम | खरगौन | दिनांक 03.03.2016 दिन गुरूवार को 13.00 बजे दिन तक | दिनांक 03.03.2016 दिन गुरूवार को 14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक | स्वामी विवेकानंद सभागृह, कलेक्टोरेट, खरगौन |
| | रायसेन | | | कलेक्टोरेट, रायसेन |
| | कटनी | | | कलेक्टोरेट, कटनी |
| | शिवपुरी | | | कलेक्टोरेट, शिवपुरी |
| | देवास | | | मल्हार स्मृति सभा कक्ष, देवास |
| | सतना | | | कलेक्टोरेट, सतना |
| सप्तम | बुरहानपुर | दिनांक 04.03.2016 दिन शुक्रवार को 13.00 बजे दिन तक | दिनांक 04.03.2016 दिन शुक्रवार को 14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक | कलेक्टोरेट, बुरहानपुर |
| | विदिशा | | | कलेक्टोरेट, विदिशा |
| | डिण्डोरी | | | कलेक्टोरेट, डिण्डोरी |
| | श्योपुर | | | नवीन कलेक्टोरेट भवन, श्योपुर |
| | आगर—मालवा | | | कलेक्टोरेट, आगर—मालवा |
| | रीवा | | | सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय, रीवा |
| अष्टम | खण्डवा | दिनांक 05.03.2016 दिन शनिवार को 13.00 बजे दिन तक | दिनांक 05.03.2016 दिन शनिवार को 14.00 बजे दिन से कार्यवाही पूर्ण होने तक | आबकारी भवन परिसर, खण्डवा |
| | हरदा | | | कलेक्टोरेट, हरदा |
| | नरसिंहपुर | | | न्यू कलेक्टोरेट, नरसिंह भवन, नरसिंहपुर |
| | अशोकनगर | | | कलेक्टोरेट, अशोकनगर |

**राकेश श्रीवास्तव,** आबकारी आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.